शुक्रवार,
२३ अप्रैल, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शुक्रवार, २३ अप्रैल, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

युद्ध सामग्री कारखाने

*२००५. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में व्यापार-आदेशों के लिए युद्ध सामग्री कारखानों ने कितने मूल्य का सामान तैयार किया ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : अभी हमारे पास १९५३-५४ के वित्तीय वर्ष के अंतिम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्तु आशा की जाती है कि १९५३-५४ में युद्ध-सामग्री बनाने वाले कारखानों ने रेलवे तथा डाक व तार विभाग के सामान को छोड़ कर कुल १२९ लाख रुपए का सामान तैयार किया होगा।

सरदार हुक्म सिंह : व्यापार के आदेशानुसार इन युद्ध-सामग्री कारखानों में कौन कौन सी वस्तुएं तैयार की जाती हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : चमड़े का सामान, लौह रहित धातु का सामान, इस्पात और इंजीनियरिंग की कई अन्य वस्तुएं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या विगत वर्ष की अपेक्षा अधिक मूल्य का सामान बनाने का आदेश मिला था अथवा कम मूल्य का ?

श्री सतीश चन्द्र : आदेश कुछ अधिक मूल्य का है। विगत वर्ष युद्ध सामग्री कारखानों ने अन्य मन्त्रालयों और व्यापार के लिए ७२ लाख रुपए की बस्तुओं का निर्माण किया था। इस वर्ष केवल व्यापार से इस बात की आशा की जाती है कि १२९ लाख रुपए का सामान बनाना पड़ेगा। इस के अतिरिक्त रेलवे संचार मंत्रालय एवं अन्य मन्त्रालयों से भी आदेश प्राप्त हुए हैं। आशा की जाती है कि १९५३-५४ में कुल १८५ लाख रुपए का सामान बनाने के लिए आदेश मिला है।

एकीकृत पत्री

*२००६. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एकीकृत पत्री के तैयार करने के सम्बन्ध में, जिस के लिए कभी १९५२ में एक समिति नियुक्त की गई थी, वर्तमान स्थिति क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् १९५४-५५ से १९५८-५९ तक के आगामी पांच वर्षों के लिए एक प्रयोगात्मक एकीकृत पत्री तैयार कर रही है। इस समय तक तो १९५४–५५, १९५५–५६ और १९५६–५७ वर्ष की पत्री को तैयार किया जा चुका है और अब १९५७–५८ और १९५८–५९ वर्षों की पत्री को तैयार किया जा रहा है।

श्री झूलन सिन्हा : इस पत्री के बनाने पर कितना धन लगेगा और इस के बनने पर साधारण पंचांग के अतिरिक्त और क्या लाभ होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : इस पत्री का मुख्य उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक और सरकारी संस्थाओं द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पत्री में एक रूपता आ जाय।

जहां तक लागत का प्रश्न है, एक समिति काम कर रही है और उस को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद से अनुदान प्राप्त होते रहे हैं। मुझे ठीक राशि तो याद नहीं किन्तु उसे पहली किस्त में शायद १० हजार रुपये दिए गए हैं। शायद और धन की आवश्यकता पड़ेगी।

इस समिति ने अभी तक तीन वर्ष के लिए पत्रियां तैयार की हैं। शेष वर्षों की पत्रियां तैयार हो रही हैं।

श्री झूलन सिन्हा : क्या सरकार को ज्ञान है कि इस एकीकृत पत्री से वर्तमान पंचांग की गणना में काफी गड़बड़ होगी।

श्री के० डी० मालवीय : मैं तो नहीं समझता कि कोई गड़बड़ होगी किन्तु जो यह पत्री विचाराधीन है, अभी काम में नहीं लाई गई है। यह तो केवल एक सिफारिश है, और सरकार ने अभी इसका कोई अंतिम निश्चय नहीं किया है।

श्री कासलीवाल : क्या इस पत्री को विश्व भर में चलाने का आन्दोलन किए जाने का प्रस्ताव है ?

श्री के० डी० मालवीय : नहीं, श्रीमान। रुचि रखने वाले कई लोगों, वैज्ञानिकों ने एक प्रस्थापना प्रस्तुत की थी कि विश्व भर में चलाए जाने के लिए एक एकीकृत पत्री होनी चाहिए।

डा० राम सुभग सिंह : क्या रुचि रखने वाले इन वैज्ञानिकों ने, जिनकी ओर माननीय मंत्री ने अभी निर्देश किया है। भारत का कोई वैज्ञानिक भी है; और यदि है तो उस का नाम क्या है और उसने राष्ट्रीय पत्री के रूप में भारत सरकार द्वारा काम में लाई जाने वाली किस पत्री की सिफारिश की है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे उस व्यक्ति का ठीक नाम याद नहीं है। मुझे इतना याद है कि कुछ समय पहले किसी समाचारपत्र में किसी वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि एक अन्तर्राष्ट्रीय पत्री होनी चाहिए।

तम्बाकू

*२००७. **श्री दाभी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२, और १९५२-५३ में बम्बई राज्य के कैरा जिले में कितने एकड़ भूमि में तम्बाकू उगाया गया था;

(ख) १९५०–५१, १९५१-५२ और १९५२-५३ में कैरा जिले में कितना तम्बाकू उत्पादित किया गया; और

(ग) १९५०–५१, १९५१–५२ और १९५२–५३ में वर्षवार, कैरा जिले से तम्बाकू पर का कितना उत्पाद शुल्क प्राप्त किया गया था ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) से (ग) तक। एक विवरण जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट अनुबंध संख्या ६५**]

श्री दाभी : विवरण से पता चलता है कि १९५०-५१ में तम्बाकू पर जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाया गया था, उस से ५४ लाख रुपये मिले थे, १९५१-५२ में ४५ लाख रुपये मिले थे और १९५२-५३ में केवल २४ लाख रुपये प्राप्त हुए थे। क्या तम्बाकू के उत्पाद-शुल्क की घटोतरी का यही कारण है कि गुजरात और कैरा जिलों में घटिया किस्म के तम्बाकू पर १४ आने प्रति पौण्ड शुल्क लिया जाता है ?

श्री ए० सी० गुहा : यही इस का कारण नहीं कहा जा सकता। तम्बाकू बाजार में मन्दी आने के कारण ऐसा ही हुआ है। विगत दो वर्षों से सारे तम्बाकू बाजार में—वह चाहे भारत का हो या विश्व भर का—एक प्रकार की मन्दी आ रही है, और काफी तम्बाकू इकठ्ठा हो रहा है। माननीय सदस्य को यह ज्ञान होना चाहिए कि अभी हाल में हमने तम्बाकू पर लगने वाला शुल्क कम कर दिया है, और हम आशा करते हैं कि अब अच्छी मात्रा की खपत होगी और हम अधिक शुल्क प्राप्त कर सकेंगे।

श्री दाभी : क्या यह सच है कि गुजरात और कैरा जिलों में घटिया किस्म के तम्बाकू पर १४ आने प्रति पौण्ड शुल्क की ऊंची दर लगाई जाती है, जब कि देश के कुछ अन्य भागों में घटिया किस्म के तम्बाकू पर शुल्क की कम दर लगाई जाती है।

श्री ए० सी० गुहा : एक ही प्रकार के तम्बाकू पर देश भर में एक ही दर से शुल्क लगाया जाता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या शुल्क की दरों को घटाने की नई सिफारिश म घटिया और बढ़िया किस्म के तम्बाकू के बीच कोई अन्तर रखा गया है, और घटिया किस्मों के लिए दर का अधिक भाग कम कर दिया गया है ?

श्री ए० सी० गुहा : घटिया किस्मों के लिए भी दरें कम कर दी गई हैं। किन्तु यदि माननीय सदस्यों को सही आंकड़े जानने म रुचि हो, तो मैं गजट की अधिसूचना का मात्र हवाला दे सकता हूं। अब मेरे पास सभी आंकड़े मौजूद हैं।

श्री दाभी : क्या यह सच है कि कैरा जिले के अनेक तम्बाकू व्यापारियों ने सरकार को अभ्यावेदन भेजते हुए यह प्रार्थना की है कि घटिया किस्म का तम्बाकू कम शुल्क दर पर उठाया जाय, और क्या सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री ए० सी० गुहा : हमारे पास गुजरात तथा देश के अन्य भागों से कई एक अभ्यावेदन पहुंचे थे, और उन अभ्यावेदनों को दृष्टि में रखते हुए हम ने अभी हाल में सभी किस्मों के तम्बाकू पर लगने वाले शुल्कों की दरों को घटा दिया।

अंदमान का उपनिवेशीकरण

*२००८. **श्री एस० सी० सामन्त**: क्या गृह-कार्य मंत्री ६ अप्रैल १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० १६२१ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सं० १९५३ में अंदमान के उपनिवेशीकरण और विकास की योजना का कार्य कैसा हुआ;

(ख) इस कालावधि में कितने विस्थापित परिवारों को बसाया गया;

(ग) इस वर्ष में कितनी नई सड़कें बढाई गई कितने नये स्कूल, औषधालय और चिकित्सालय खोलें गये और पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की संख्या में कितनी वृद्धि की गई; और

(घ) अगले वर्ष का क्या कार्यक्रम है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ६६]**

श्री एस० सी० सामन्त: क्या पोर्ट ब्लेयर और उत्तर तथा दक्षिण अन्दमान के बीच सड़क बनाने का कार्य निकट भविष्य में आरंभ किया जायेगा ?

श्री दातार: जब सरकार के पास अस्सी मील की पक्की सड़क की योजना आयेगी तब यह कार्य आरंभ किया जायेगा।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या रणघाट क्षेत्र में वहां बसाये गये शरणार्थियों के लिये कोई लकड़ी काटने की मिल स्थापित की गई है ?

श्री दातार: मेरा विचार है कि यह स्थापित की जा रही है।

श्री भागवत झा आजाद: क्या उन शरणार्थियों को जो वहां बसाये जा रहे हैं पांच एकड़ साफ भूमि दी जाती है, और क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं कि करार के अनुसार दी जाने वाली पांच एकड़ भूमि उन्हें नहीं दी जा रही है ?

श्री दातार: उन्हे केवल पांच एकड़ नहीं वरन कुल १० एकड़ भूमि दी जाती है और इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली।

श्री पुन्नूस: राज्यों में से परिवारों को चुनने की क्या प्रणाली है। यह कार्य कौन कर रहा है? क्या इस कार्य के विभिन्न क्रम हैं ? क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि जिन परिवारों ने इस आशा से कि उन्हें अन्दमान भेजा जा रहा है, राज्य में अपनी सारी सम्पत्ति बेच डाली फिर उन्हें नहीं भेजा गया और अब वे उलझन में पड़े हैं ?

श्री दातार: एक बहुत उचित रूप से निश्चित की गई प्रणाली है जिस के अनुसार भेजे जाने वाले परिवारों में ७५ प्रतिशत शरणार्थी होते हैं। और अन्य २५ प्रतिशत भारत के अन्य भागों अर्थात त्रावनकोर कोचीन और बम्बई के लोग होते हैं। इन सब मामलों में हमें सिफारिशें और नाम निदशन मिलते हैं और अन्तिम रूप सें चुनाव मुख्य आयुक्त करता है।

राष्ट्रीय आय एकक समिति

*२०११. **श्री मुरारका**: क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे :

(क) क्या राष्ट्रीय आय एकक सीमति, राष्ट्रीय द्वारा एकत्र किये गये आंकड़ों का कोई प्रयोग कर सकी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत): (क) हां, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री मुरारका: राष्ट्रीय आय एकक ने किस अनुसूची अर्थात कलकत्ता अनुसूची का अथवा पूना अनुसूची का उपयोग किया है ?

श्री बी० आर० भगत : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण प्रतिवेदन कलकत्ता अनुसूची पर आधारित है। सरकार ने पूना अनुसूची को स्वीकार नहीं किया और इसलिए राष्ट्रीय आय एकक समिति ने कलकत्ता अनुसूची का ही प्रयोग किया है।

श्री मुरारका : क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने उपभोक्ता का व्यय २२० रुपये प्रति व्यक्ति निकाला है जबकि राष्ट्रीय आय एकक समिति ने इसे २६५ रुपये प्रति व्यक्ति रखा है ?

श्री बी० आर० भगत : जी हां ।

श्री मुरारका : ४५ रुपये के अन्तर का क्या कारण है ?

श्री बी० आर० भगत : संक्षेप से इन दो आंकड़ों में दो बड़े अन्तर हैं । पहले तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के गृह-व्यय के आंकड़ों का सम्बंध ग्रामीण घर से है जबकि राष्ट्रीय आय एकक समिति के आंकड़ों का सम्बंध दोनों ग्रामीण और शहरी घरों से है और यह स्वभाविक है कि शहरी घर का व्यय ग्रामीण घर से अधिक होता है । दूसरे राष्ट्रीय आय और उपभोक्ता के निजी व्यय की कुल राशि में अन्तर है । इसलिए किसी आय सम्बंधी प्रयोजनों के लिए इन दो आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या यह सच नहीं कि पूना अनुसूची अधिक विश्वसनीय है और यदि ऐसा है तो सरकार राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से अनुसूची लेने के लिए क्यों आग्रह कर रही है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : हाल ही में प्रधान मंत्री ने इस बात को सभा के समक्ष स्पष्ट किया था कि सरकार ने भारतीय सांख्यकी संस्था द्वारा दिये गये उन आंकड़ों को स्वीकार कर लिया है जिन की ओर माननीय सदस्य ने कलकत्ता अनुसूची के नाम से निर्देश किया है । इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि किसी को कौन से आंकड़े स्वीकार हैं, परन्तु सरकार ने आंकड़ों को स्वीकार कर लिया है ।

डा० सुरेश चन्द्र : मैं ने एक निश्चित प्रश्न पूछा था कि क्या पूना अनुसूची अधिक विश्वसनीय नहीं है, और यदि ऐसा है तो सरकार ने इसे क्यों स्वीकार नहीं किया ? बात यह नहीं कि सरकार ने कुछ आंकड़े स्वीकार कर लिये हैं।

श्री ए० सी० गुहा : इसी माननीय सदस्य ने पहले भी यही प्रश्न पूछा था जब प्रधान मंत्री ने बीच में उत्तर दे दिया था कि सरकार कलकत्ता अनुसूची को अधिक विश्वसनीय समझती है और इसलिए उन्होंने इस अनुसूची को स्वीकार किया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न आरम्भ कर रहा हूं।

श्री बंसल : श्रीमान्, आज प्रश्न बहुत थोड़े हैं और आप की अनुज्ञा से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा उदाहरण नहीं खड़ा करना चाहता । यदि मैं इस कारण अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछने दूं कि हमारे पास समय है, तो इस का यह अभिप्राय होगा कि और अनुपूरक प्रश्न पूछने वाले सदस्यों का तांता बंध जायेगा ।

श्री बंसल : श्रीमान्, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री मुरारका : श्रीमान्, मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

श्री मुरारका : क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने जो आंकड़े

दूसरी बार एकत्र किये थे वे एक ही मद के लिए पहली बार एकत्र किये गये आंकड़ों से भिन्न थे ?

श्री बी० आर० भगत: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा दूसरी बार एकत्र किये गये आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं और बाद में एकत्र किये गये आंकड़ों का प्रकाशन हो रहा है। यद्यपि राष्ट्रीय आय समिति की ओर से उस द्वारा पहली बार एकत्र किये गये आंकड़ों को उपयोग में लाने के लिए कोई विशेष प्रार्थना नहीं थी, परन्तु बाद में इस बात पर विचार किया गया और इसलिए आंकड़े एकत्र करने के लिए भिन्न ढंग तथा प्रणाली अपनाई गई है।

आयकर विभाग, उत्तर प्रदेश, के कर्मचारी

*२०१२. **श्री रूप नारायण:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आयकर विभाग उत्तर प्रदेश में इस समय पदाधिकारियों, निरीक्षकों और अन्य कर्मचारियों की क्या संख्या है ;

( ) उन में अनुसूचित जाति के कितने कर्मचारी हैं ;

(ग) क्या आयकर आयुक्त, लखनऊ, ने हाल में आयकर निरीक्षकों की भर्ती की है ; और

(घ) यदि ऐसा है तो कितने भर्ती किये गये और उन को चुनने का क्या ढंग था ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) आयकर विभाग उत्तर प्रदेश में इस समय ९२५ कर्मचारियों में से ९२ पदाधिकारी, ४८ निरीक्षक, और ५१३ क्लर्क हैं। शेष श्रेणी ४ के कर्मचारी हैं।

(ख) श्रेणी चार के कर्मचारियों को छोड़ कर, अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या, १ पदाधिकारी, ५ निरीक्षक और १८ क्लर्क हैं। श्रेणी चार के कर्मचारियों के सम्बंध में जानकारी एकत्र की जा रही है और वह सदन पटल पर रखी जायेगी।

(ग) हां, श्रीमान्।

(घ) हाल में भर्ती किये गये निरीक्षकों की संख्या ६ है जिन में से ५ अनुसूचित जाति के हैं। चुनाव आयकर आयुक्त, लखनऊ, और दो आयकर सहायक आयुक्तों की एक तदर्थ समिति ने उन उम्मीदवारों में से किया, जिन्होंने—

(१) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लोगों के लिए रक्षित रिक्तियों के मामले में स्थानीय पत्र में दिये गये विज्ञापन का उत्तर दिया था अथवा जिन की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली मान्यता प्राप्त संस्थाओं अथवा पुनःसंस्थापन और नौकरी के प्रादेशिक निदेशक, लखनऊ, ने सिफारिश की थी ; और

(२) अरक्षित रिक्तियों के मामले में जिन को नौकरी दफ्तर ने भेजा था।

श्री रूप नारायण: क्या मैं जान सकता हूं कि जो पांच इंस्पैक्टर्स इस विभाग में लिए गये हैं उन में से तीन को

रिवर्ट करने के लिए कंसीडर किया जा रहा है ?

श्री एम० सी० शाह : मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

अध्यक्ष महोदय : चुने गये पांच व्यक्तियों में से--यदि मैं व्याख्या ठीक न करूं तो वे सुधार दें—इन्हें प्राप्त सूचना के अनुसार तीन को पदावनत किया जा रहा है । क्या मैं ने इन्हें ठीक समझा है ?

श्री एम० सी० शाह : छः रिक्तियों में से पहले ही पांच अनुसचित जाति के व्यक्तियों को ले लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य प्रश्न को दोहरायेंगे ?

श्री रूप नारायण : क्या मैं जान सकता हूं कि जो छः वेकेंसी हुई थीं और जिन में से कि पांच शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए रिजर्व थीं, उन रिजर्व वेकेंसीज में जो पांच इंस्पेक्टर्स लिए गये थे, उन में से कुछ को रिवर्ट करने का विचार किया जा रहा है ?

श्री एम० सी० शाह : नहीं, श्रीमान् ।

श्री रूप नारायण यह जो सेलेक्शन, हुआ था वह सिर्फ एम्पलायमेंट एक्सचेंज के ज़रिये हुआ था या कि बाहर से भी कडीडेट मांगे गये थे?

श्री एम० सी० शाह : जैसा मैं ने पहले बताया, इस तदर्थ समिति ने ये पांच उम्मीदवार उन प्रार्थियों में से चुने जिन्होंने स्थानीय पत्र के विज्ञापन का उत्तर दिया, या जिन की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों की मान्यता प्राप्त संस्थाओं अथवा पुनः संस्थापन तथा नौकरी के प्रादेशिक निदेशक ने सिफारिश की थी ।

श्री रूप नारायण : इन्सपेक्टर्स की जगहें सिर्फ ४८ बताई गई हैं जब कि आफिसर्स की ९२ बताई गई हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि इस विभाग में इन्सपेक्टर्स कम क्यों रक्खे गये हैं ?

श्री एम० सी० शाह : अन्तिम पंक्ति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : इन्सपेक्टर्स की संख्या इतनी कम क्यों है ?

श्री एम० सी० शाह : यह उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं । गत कुछ वर्षों से संख्या कम थी और उसी को पूरा करने के लिये इन्सपेक्टरों के छः स्थानों पर पांच नियुक्त कर दिये गये थे । संख्या कम थी और इसीलिये रिक्त स्थानों में से १६ २/३ प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिये और पांच प्रतिशत अनुसूचित आदिमजातियों के लिये रक्षित रखे गये थे । क्योंकि इस बार ऐसा कोई रक्षण नहीं था इसलिये ६ स्थानों में से ५ स्थानों के लिये उम्मीदवार चुन लिये गये ।

श्री वेलायुधन : भाग (घ) के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया गया है उसमें से कितने गजटेड स्थान अनुसूचित जातियों के लिये हैं ?

श्री एम० सी० शाह : यह स्थान इन्सपेक्टरों के हैं और वे गजटेड आफिसर्स नहीं हैं ।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण

*२०१३. **श्री के० सी० सोधिया:** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की कितनी बेंचें काम कर रही हैं और उनमें से कितनी स्थायी बेंचें नहीं हैं ;

(ख) १९५३–५४ में उन्होंने कुल कितने मामलों को निबटाया ;

(ग) औसतन एक मामले के निबटाने में कितना समय लगा ; तथा

(घ) किन प्राधिकारियों के विरुद्ध अपील की जाती है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास): (क) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में आठ बेंचें हैं, २ बम्बई में, २ मद्रास में और एक एक कलकत्ता, दिल्ली अलाहबाद और पटना में । इन में से ६ बेंचें स्थायी रूप से हैं तथा शेष दो अर्थात् पटना बेंच और मद्रास की अतिरिक्त बच अस्थायी रूप से हैं ।

(ख) १९५३-५४ में इन समस्त बेंचों द्वारा १०,१६२ मामले निबटाये गये थे ।

(ग) निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है । मुझे पता लगा है कि बम्बई वाली बेंचों के पास काम की अधिकता होने के कारण उन्हें अपील निबटाने में दायर होने के समय से १० या १२ महीने तक का समय लग जाता है । साधारणत: अन्य बेंचों को इससे कम समय लगता है ।

(घ) आयकर आयुक्त, आयकर के अपीलीय सहायक आयुक्त तथा अतिरिक्त लाभ कर अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपील की जाती है ।

श्री के० सी० सोधिया: प्रत्येक न्यायाधिकरण में कितने सदस्य होते हैं ?

श्री बिस्वास: प्रत्येक बेंच में दो सदस्य होते हैं ।

श्री के० सी० सोधिया: क्या किसी मामले के सम्बन्ध में दोनों सदस्यों की रायों में मतभेद .....

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । मेरे विचार में यह प्रश्न बहुत ही व्यापक है । और कोई प्रश्न ?

श्री रघुरामय्या: क्या मद्रास में जो बेंचें हैं उनमें से एक को और कहीं हटाने का विचार है ?

श्री बिस्वास: किसी भी बेंच को, विशेषकर मद्रास से, हटाने का विचार नहीं है ।

श्री के० सी० सोधिया: इन न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां किस प्रकार की जाती हैं ?

श्री बिस्वास: मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि इसका एक सदस्य न्यायिक सदस्य होता है और दूसरा लेखापाल सदस्य होता है । उनका साधारण तौर पर चुनाव किया जाता है ।

श्री के० सी० सोधिया: संघ लोक सेवा आयोग द्वारा या स्वयं मंत्रालय द्वारा ?

श्री बिस्वास: मेरे विचार में अन्तिम चुनाव लोक सेवा आयोग द्वारा ही होता है । मगर इस सम्बन्ध में मुझे पूरा निश्चय नहीं है ।

एच० एम० एस० "नाइजीरिया"

*२०१५. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत,

ब्रिटेन से एच. एम. एस. "नाइजीरिया" सिक्स इंच क्रूज़र खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिये भारत को कितनी कीमत देनी पड़ेगी; तथा

(ग) क्रूजर का जीवन काल कितने दिनों का है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): क) जी हां।

(ख) ४० लाख रुपये।

(ग) १५ वर्ष।

श्री रघुनाथ सिंह: हम यह जानना चाहते हैं कि यह शिप कब बन कर तैयार हुआ था ?

श्री त्यागी: यह १९४० में पहले पहल बना था।

श्री जोकिम आल्वा: हम अपने जहाज़ों को खरीदने में किस प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं ? क्या हम इसके लिये ब्रिटिश नौसेना विभाग या ब्रिटिश नौवहन यार्डों से कहते हैं ? ब्रिटिश नौसेना प्राक्कलन में उन जहाज बनाने वाले यार्डों के नाम दिये जाते हैं जहां से वे जहाज खरीदते हैं। फिर हम ने प्रक्रिया क्यों पलट दी है तथा हम सीधे ब्रिटिश नौसेना विभाग के पास क्यों जाते हैं जब कि विदेशों में मकान खरीदने के लिये हम ऐसे निकम्मे ठेकेदारों के पास जाते हैं जिनकी कुल पूंजी एक पौंड होती है और इस प्रकार सरकारी स्तर पर काम नहीं करते ?

श्री त्यागी: प्रश्न काफी लम्बा है। मैं माननीय सदस्य को बतला दूं कि हमने यह जहाज सीधे रायल नेवी से खरीदा है। क्योंकि यह रायल नेवी की सम्पत्ति थी, अतएव इसे खरीदने के लिये सरकार को वहां की सरकार के पास ही जाना पड़ा।

श्री कसलीवाल: क्या यह जहाज़ ब्रिटिश जहाज़-यार्डों में पुन: फिट किया जा रहा है और यदि हां, तो लागत क्या आयेगी ?

श्री त्यागी: इसमें नये हथियार तथा अन्य आवश्यक चीजें पुन: लगाई जायेंगी तथा हमें जो अनुमानित लागत बताई गई है वह लगभग ८० लाख रुपये है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: क्या सरकार के विचार में देश की रक्षा के लिये क्रूजर खरीदना अत्यन्त आवश्यक है और क्या हम डेस्ट्रायरों आदि पर निर्भर नहीं रह सकते ?

श्री त्यागी: ऐसा सम्भव नहीं हुआ जहाज़ों का बाजार बहुत तेज है और जहाज़ हर जगह उपलब्ध नहीं है।

श्री साधन गुप्त: यदि नया क्रूजर खरीदा जाये तो उसका क्या मूल्य होगा ?

श्री त्यागी: मेरे विचार में फिटिंग इत्यादि के साथ लगभग ३ करोड़ रुपये होगा ?

श्री रघुनाथ सिंह: श्रीमान, एक और प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न।

सैनिक अधिकारियों की सेवा की शर्तें

*२०१६. **सरदार हुक्म सिंह:** (क) क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन अधिकारियों को क्वार्टर-मास्टरों, टेकनिकल अधिकारियों तथा

रेकार्ड अधिकारियों की विशेष सूची के लिये चुन लिया गया है क्या उनकी सेवा की शर्तें अन्तिम रूप से तय कर दी गई हैं ?

(ख) सेवा की यह शर्तें, जिनमें वेतन और भत्ते, निवृत्ति-वेतन तथा तरक्की भी शामिल है, जनरल ड्यूटी वाले ऐसे ही अधिकारियों के मुकाबले में कैसी बैठती हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां ।

(ख) सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ६७**]

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन विशेष अधिकारियों तथा नियमित सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण में कोई अन्तर होगा ?

श्री त्यागी : जी हां । कुछ श्रेणियों में कहीं कहीं पर थोड़ा सा अन्तर है । साधारणतः नियम एक ही आधार पर बनाये गये हैं तथा कोई विशेष अन्तर नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह: जब प्रशिक्षण एक सा है और अर्हताएं एक सी हैं तो उन के वेतन आदि के सम्बन्ध में जो कि उन्हें दिया जायेगा, अन्तर करने का क्या कारण है ?

श्री त्यागी : काम अलग अलग हैं; कृत्य बिल्कुल भिन्न हैं । एक वर्ग के अधिकारियों को क्षेत्रों में कार्यपालिका अधिकारियों के रूप में कार्य करना पड़ता है, यूनिटों पर नियंत्रण रखना होता है जब कि दूसरे वर्ग के अधिकारियों को मुख्यतः टेकनिकल काम करना होता है ।

सरदार हुक्म सिंह: जो विशेष सूची बनाई जा रही हैं वह उन अधिकारियों की ही बनाई जा रही है जो पहले ही से इस विभाग में काम कर रहे हैं या कि इस सूची में बाहर से भी अधिकारी लिये जायेंगे ?

श्री त्यागी: चुने जाने का आधार अधिकारियों द्वारा विभिन्न शाखाओं में प्राप्त अनुभव होगा ।

सरदार ए० एस० सहगल : इन विशेष सूचियों के लिये जिन अधिकारियों को चुना जाता है वे कितने वर्ष तक अस्थायी रूप से काम करते रहते हैं और कितने वर्षों बाद उन्हें स्थायी बनाया जाता है ?

श्री त्यागी : इस का उत्तर देना मेरे लिये बहुत कठिन है; समस्त अधिकारियों के लिये मैं एक सा उत्तर नहीं दे सकता हूं । यह अधिकारियों के वर्गों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है ।

सोने का उत्पादन

*२०१७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४७ से १९५३ तक, वर्षवार, भारत में सोने का तुलनात्मक वार्षिक उत्पादन क्या रहा है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : सदन पटल पर अपेक्षित सूचना का एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ६८**]

श्री एस० सी० सामन्त : सोने के उत्पादन की लागत कम करने के लिये

क्या सरकार का विचार स्थानीय लोगों को काम पर लगाने का है ?

श्री के० डी० मालवीय : सोने के उत्पादन की लागत न केवल स्थानीय लोगों को काम पर लगाने पर निर्भर रहती है बल्कि अन्य अधिक महत्वपूर्ण बातों पर। लेकिन यह सच है कि प्राकृतिक संसाधनों के परिमाप कार्यक्रम के सम्बन्ध में सरकार एक योजना पर विचार कर रही है जिसके अनुसार उन लोगों को और अधिक संख्या में सोने की खानों में काम पर लगाया जायेगा जिन्हें टेकनिकल अनुभव प्राप्त नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण को देखने से पता लगता है कि गत दो वर्षों में, तुलनात्मक रूप से, उत्पादन गिर गया है। इसका क्या कारण है ?

श्री के० डी० मालवीय : पिछले अनेक वर्षों से, दुर्भाग्यवश, उत्पादन गिरता जा रहा है तथा इसके कारण यह बताये गये हैं कि कोलार खान क्षेत्र में बहुत गहराई पर खुदाई करनी पड़ती है तथा श्रमिकों का उत्पादन भी कम है जिसके फलस्वरूप उत्पादन की लागत बढ़ गई है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार ने हाल ही में सोने के सर्वेक्षण का कोई नया कार्यक्रम हाथ में लिया है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां। अनेक स्थानों पर सोने के भंडारों का पता लगा है। लेकिन सोने का पता लगना ही तो सब कुछ नहीं है उसको प्राप्त करना भी तो अनेक बातों पर निर्भर होता है। बिहार, मानभूमि आदि में अनेक सोने की खानें हैं जिन्हें लाभ के साथ चलाया जा सकता है। इन मामलों में आरम्भिक कार्यवाही करना राज्य सरकार पर निर्भर है।

श्री राधे लाल व्यास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन सोने की खानों के अलावा हिमाचल प्रदेश में एक नदी है जिसका नाम सोनखाड़ी यानी सोने की नदी है, जो कि तीन मील चौड़ी और १८, २० मील लम्बी है और जिसकी रेती में सोना मिलता है, और अगर यह सही है तो क्या सरकार उससे सोना निकालने का कोई प्रयत्न कर रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : अक्सर खानों के अलावा नदियों की बालू में सोना हुआ करता है लेकिन वह सदैव इकानमिक ही नहीं होता। साधारण तौर पर यह मालूम हुआ है, वैज्ञानिकों द्वारा और जिआलाजीकल डिपार्टमेंट से, कि बालू में पाया हुआ सोना अक्सर सस्ता नहीं होता, गालिबन वह सोने से भी ज्यादा मंहगा हो जाता है।

सचिवालय के कर्मचारियों के लिये सुविधायें

*२०२०. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५३-५४ में सचिवालय के कर्मचारियों को सुविधायें देने के लिये गृह-मंत्रालय को जो ४५,६०० रुपये दे दिये गये थे उसमें से कितनी राशि खर्च की गई है; तथा

(ख) इस वर्ष कौन कौन सी विशेष सुविधायें दी गई ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) १९५३-५४ में सचिवालय के कर्मचारियों को सुविधायें देने के लिये ४२,७५० रुपये दिय गये थे, ४५,६०० रुपये नहीं। यह रुपया विभिन्न मंत्रालयों में बांट दिया गया था ताकि इस सम्बन्ध में उन्होंने कर्मचारियों से जो राशि इकट्ठी की हो उसमें इसे मिला दिया जाये।

(ख) खेल-कूद आदि सामान्य सुविधायें देने के अतिरिक्त दो वाचनालय—एक नार्थब्लाक में और दूसरा साउथ ब्लॉक के पास—खोलने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है। इन वाचनालयों में पत्रिकाओं तथा पुस्तकों आदि की व्यवस्था की जायेगी और साथ ही टेबिल-टेनिस जैसे घर के अन्दर खेले जानेवाले खेलों के लिये भी जिनकी स्थानीय क्लब आसानी से व्यवस्था नहीं कर सकते प्रबन्ध किया जायेगा।

सरदार हुक्म सिंह : क्या गृह–मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों से यह जानने की कोशिश की है कि जो राशि उन्हें दी गई थी उसमें से गत वर्ष में कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री दातार : हमारा संबंध तो उन विभिन्न अनुदानों से है जो हमने मंत्रालयों को दिये थे। विभिन्न मंत्रालयों को कुल लगभग ४२,००० रुपया दिया गया था।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कैन्टीनों की व्यवस्था भी सरकार द्वारा दिये गये रुपये में से की जाती है या यह बिल्कुल अलग मामला है ?

श्री दातार : कैन्टीनों का चलाना एक बिल्कुल अलग मामला है और इसके लिए सरकार ५,००० रुपये का ऋण मंजूर कर चुकी है। इसका उससे कोई संबंध नहीं।

श्री तिम्मय्या : क्या सरकार के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लड़कों को अध्यापन शुल्क के संबंध में कोई रियायत दी जाती है ?

श्री दातार : रियायत का कोई प्रश्न नहीं है। प्रत्येक सदस्य से ३ रुपये से १२ रुपये के बीच चन्दा इकट्ठा किया जाता है और वह उसमें मिला दिया जाता है।

सरदार हुक्म सिंह : सचिवों को छोड़ कर क्या निम्न श्रेणी के कर्मचारियों का दृष्टिकोण जानने के लिये बैठकों आदि में उन से समय समय पर परामर्श लिया जाता है ?

श्री दातार : इस विषय में हमारे यहां एक केन्द्रीय समिति है जो सचिवालय कर्मचारियों की सुविधा तथा कल्याण संबंधी समिति कहलाती है। इसमें विभिन्न मंत्रालयों तथा कार्यालयों (संबद्ध कार्यालय सहित) के प्रतिनिधि हैं और इन्हीं के द्वारा ही यह सारी व्यवस्था की गई है।

श्री दामोदर मेनन : अभी यह बताया गया कि इस राशि में कर्मचारियों द्वारा दिया गया रुपया मिलाया जाता है। मैं जान सकता हूं कि कर्मचारियों ने कुल कितना रुपया दिया ?

श्री दातार : मेरे पास यहां ठीक ठीक राशि नहीं; यह लगभग उतनी ही है।

सोने की खरीद

*२०२१. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९४७ से १९५३ तक विदेशों से कोई सोना खरीदा गया था; यदि हां, तो कितना ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : इस अवधि में सरकार अथवा रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया द्वारा विदेशों से कोई सोना नहीं खरीदा गया है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि दूसरे सालों में सोने का पर्चेज़ किया गया है या नहीं ?

श्री बी० आर० भगत : सन् १९४७ के बाद सोना बाहर से आने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था और वह अभी तक जारी है ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं आप से प्रश्न संख्या २०१९ पूछने की अनुमति चाहता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने माननीय सदस्य की सहमति ले ली है ?

सरदार ए० एस० सहगल : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-सूची समाप्त हो गई है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खेरिया में डकोटा को क्षति

***२००९. श्री मुनिस्वामी : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मार्च १९५४ के प्रथम सप्ताह में आगरे के समीप खेरिया हवाई अड्डे पर एक डकोटा उत्तरते समय कुछ कुछ जल गया था और उसे नुकसान पहुंचा था ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार को कितनी हानि हुई; तथा

(घ) क्या डकोटा में बैठे व्यक्तियों को कोई चोटें आई थीं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) दुर्घटना के कारणों तथा उसमें होने वाले, नुक़सान का पता लगाने के लिये जो जांच-अधिकरण बिठाया गया था उसकी रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(घ) जी नहीं । प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षणार्थी चालक दोनों में से किसी के चोट नहीं आई ।

कवियों तथा लेखकों को अनुदान

***२०१०. श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) (१) हिन्दी (२) उर्दू और (३) अंग्रेज़ी के कवियों और लेखकों को कब से अनुदान दिये जा रहे हैं अथवा अब दिये जा रहे हैं और उनकी रकमें कितनी हैं; तथा

(ख) सन् १९५३ के अन्त तक प्रति वर्ष भाषावार दी गई रकमों का ब्यौरा क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ६९]**

बिहार की सामाजिक कल्याण संस्थाओं को अनुदान

***२०१४. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड ने बिहार की विभिन्न सामाजिक कल्याण संस्थाओं को कितना अनुदान दिया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ७०]**

अखिल भारतीय लेखक सम्मेलन

*२०१८. **श्री मुनिस्वामी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने अन्नामलाई विश्वविद्यालय में हुए तृतीय अखिल भारतीय लेखक सम्मेलन को कोई सहायता दी है ; तथा

(ख) क्या इस सम्मेलन में सरकार के किसी प्रतिनिधि ने भाग लिया था ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां, कवि, निबन्धकार तथा उपन्यासकार संस्था, बम्बई के लिये, सम्मेलन का खर्च पूरा करने के निमित २५०० रुपये का अनुदान मंजूर कर दिया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

जामिया मिलिया

*२०१९. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या शिक्षा मंत्री २६ फरवरी, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४१९ के उत्तर को ध्यान में रखकर यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पुस्तकें तैयार कराने का काम जामिया मिलिया को देने से पहले क्या ऐसी अन्य संस्थाओं से भी कोई परामर्श किया गया था जिन्हें इस प्रकार के काम का अनुभव है ; तथा

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं ।

(ख) जामिया मिलिया सामाजिक शिक्षा एवं बालोपयोगी साहित्य के क्षेत्र में ३० वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहा है और दिल्ली में बालोपयोगी साहित्य के क्षेत्र में इसका जैसा कार्य करने तथा अनुभव रखने वाली कोई अन्य संस्था नहीं थी । इसके अलावा यह कार्य उसी संस्था को सौंपा जा सकता था जो शिक्षा के संबंध में आवश्यक अनुभव तथा ज्ञान रखती हो ।

निश्चित अवधि वाले पद

४३७. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय शासन में विभिन्न मंत्रालयों में कितने ऐसे पदाधिकारी हैं जो निश्चित अवधि समाप्त होने पर भी अपने पद को संभाले हुए हैं तथा क्या वे सदन पटल पर एक विवरन रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें दी गई हों—(१) ऐसे पदाधिकारियों के नाम; (२) उन राज्यों के नाम, जहां से वे पदाधिकारी आए; (३) केन्द्र में वे कितनी अवधि से कार्य कर रहे हैं; (४) उन विभागों के नाम जहां पर उन्होंने काम किया है अथवा वे अभी काम कर रहे हैं; और (५) प्रत्येक के विषय में निश्चित अवधि से अधिक समय केन्द्र में काम पर लगाये रहने के कारण ?

(ख) क्या केन्द्र और राज्यों के पदाधिकारियों में अदला बदली का क्रम बन्द कर दिया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या कारण है कि अवधि समाप्त होने पर पदाधिकारियों को अपने राज्यों को वापिस नहीं भेजा जाता ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) "निश्चित अवधि" शब्दों का ठीक ठीक अर्थ लगाना संभव नहीं है । जब निर्धारित पदावधि प्रणाली लागू थी तब भी इसका सामान्य नीति के रूप में ही अनुसरण

किया जाता था और कोई निर्धारित नियम ऐसे नहीं थे जिनके अनुसार कार्य किया जाता हो। गत महायुद्ध से पहले जब अधिकारी काफी थे और केन्द्र की मांग भी कम थी, तो भारत सरकार के अवर सचिव के तथा इससे ऊंचे स्तर के बहुत से पद "निर्धारित पदावधि प्रणाली" के आधार पर प्रान्तों से प्रतिनियुक्त किये गये अधिकारियों से भरे गये थे। पदावधि स्वयं समय समय पर बदलती रहती थीं। महायुद्ध से शीघ्र पूर्व जो अवधियां थीं वे इस प्रकार थीं:

सचिव.....५ वर्ष, केन्द्रीय सरकार के ५ वर्ष की अवधि और बढ़ाने के विकल्प सहित।
संयुक्त सचिव.....५ वर्ष
उपसचिव.....४ वर्ष
अवर सचिव.....३ वर्ष

उन दिनों में भी यह स्पष्ट रूप से कभी तय नहीं किया गया था कि जिस अधिकारी को केन्द्रीय सरकार के अधीन एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरित किया जाये उसकी पदावधि दूसरे पद पर नये सिरे से मानी जाये या नहीं। अलग अलग मामलों में अलग अलग तरीके से काम लिया जाता था।

उस समय एक विशेष पदाली भी जो वित्त तथा वाणिज्य समूह (पूल) पदाली कहलाती थी, वित्त तथा वाणिज्य मंत्रालयों से संबंधित कार्य करने के लिये अनुभवी एवं विशेष ज्ञान रखने वाले अधिकारियों की व्यवस्था करने के लिये बनाई गई थी। इस समूह में भारतीय असैनिक सेवा की पदालियों से तथा कुछ केन्द्रीय सेवाओं से लिये गये अधिकारी होते थे। समूह में इस तरह नियुक्त किये गये अधिकारी केन्द्रीय सेवा में आम तौर से स्थायी रूप से रखे जाते थे और निर्धारित पदावधि प्रणाली उन पर लागू नहीं होती थी।

१९३८ में निर्धारित पदावधि प्रणाली में गड़ बढ़ होनी शुरू हो गई थी क्योंकि केन्द्र की मांगें बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं। महायुद्ध के कारण तथा उसके बाद की परिस्थितियों के कारण यह मांग और ज्यादा बढ़ गई थी। सत्ता-हस्तान्तरण के पश्चात भारतीय असैनिक सेवा के यूरोपीय और मुसलमान अधिकारियों के चले जाने से अधिकारियों की संख्या में बहुत कमी आ गई जिसके कारण भारतीय असैनिक सेवा व भारतीय प्रशासनिक सेवा के संबंध में निर्धारित पदावधि प्रणाली को अस्थायी रूप से खत्म करना पड़ा। अब ऐसी कार्यवाही की जारही है जिससे जहां तक संभव हो इस प्रणाली को फिर से लागू किया जा सके।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के विदेश स्थित दुतावासों में तथा वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अन्य संबंधित पदों पर कार्य करने के लिये एक भारतीय विदेश सेवा स्थापित करनी आवश्यक हो गई थी। इसके लिये भारतीय असैनिक सेवा की राज्य पदालियों में से बहुत से अधिकारी चुने गये थे और वे अभी तक विदेश सेवा में चले आ रहे हैं। इनमें से अधिकांश अधिकारी विदेश सेवा में स्थायी रूप से रख लिये जायेंगे और सामान्य रूप से उनका राज्य पदालियों में वापस करने का प्रश्न नहीं होता।

एक विवरण जिसमें राज्यों से लिये गये भारतीय असैनिक सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों के नाम दिये गये होंगे जो अब भारत सरकार की सेवा में नियुक्त हैं और जिस में यह भी दिया गया होगा कि ये लोग

किन किन पदों पर कितने कितने समय के लिये रहे, तैयार किया जारहा है और यथा शीघ्र सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) तथा (ग). निर्धारित पदावधि प्रणाली के कुछ समय के लिये सरकारी रूप से समाप्त कर दिये जाने के बावजूद भी, राज्यों तथा केन्द्र के बीच अधिकारियों को अदला बदली परिस्थितियों के अनुसार चलती ही रही है। निम्नलिखित विवरण में यह दिखाया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय असैनिक सेवा व भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारी केन्द्र में लाये गये और कितने राज्य पदालियों को वापस किये गये :—

	केन्द्र में लाये गये अधिकारी	राज्यों को वापस किये गये अधिकारी
१९४८	१९	९
१९४९	१८	११
१९५०	११	७
१९५१	११	९
१९५२	२७	१३
१९५३	२७	१४

शुक्रवार,
२३ अप्रैल, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

अंक ४--१७ अप्रैल से ४ मई, १९५४

	पृष्ठ भाग
शनिवार, १७ अप्रैल, १९५४	
सदन पटल पर रखे गये पत्र—	
तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग, कोरिया के प्रतिवेदन और चुने हुए दस्तावेज	३४३९
आवश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना—	
दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशान्त महा सागर के लिये सामूहिक रक्षा की व्यवस्था	३४३९–३४४३
सदन का कार्यक्रम	३४४३–३४४५
अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या २६–वित्त मंत्रालय	३४४६–३४८७
मांग संख्या २७–सीमा शुल्क	३४४६–३४८७
मांग संख्या २८–संघ उत्पादन शुल्क	३४४६–३४८७
मांग संख्या २९–निगम कर तथा संपत्ति शुल्क समेत आय पर कर	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३०–अफीम	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३१–स्टाम्प्स	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३२–अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा कोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि का भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३३–लेखा-परीक्षा	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३४–मुद्रा	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३५–टकसाल	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३६–प्रादेशिक तथा राजनैतिक पेंशनें	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३७–वृद्धावकाश भत्ता तथा निवृत्ति वेतन	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३८–वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३९–राज्यों को सहायक अनुदान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४०–संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४१–असाधारण भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४२–विभाजन पूर्व के भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ११५–भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजीव्यय	३४४६–३४८७

	पृष्ठ भाग
मांग संख्या ११६—मुद्रा पर पूंजी व्यय	३४४६—३
मांग संख्या ११७—टकसाल पर पूंजी व्यय	३४४६—३४
मांग संख्या ११८—निवृत्ति वेतनों का परिगत मूल्य	३४४६—३४८७
मांग संख्या ११९—छंटनी किये गये व्यक्तियों को भुगतान	३४४६—३४८८
मांग संख्या १२०—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४४६—३४८७
मांग संख्या १२१—केन्द्रीय सरकार द्वारा देय ऋण तथा अग्रिम धन	३४४६—३४८
मांग संख्या ७०—विधि मंत्रालय	३४८७—३४८
मांग संख्या ७१—चाय-व्यवस्था	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७२—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७३—भारतीय भूपरिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७४—वानस्पतिक सर्वेक्षण	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७५—प्राणकीय परिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७६—भूतत्वीय परिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७७—खानें	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७८—वैज्ञानिक गवेषणा	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७९—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ८०—संसद् कार्य विभाग	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०७—संसद्	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०८—संसद् सचिवालय के अधीन विविध व्यय	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०९—उपराष्ट्रपति का सचिवालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या १३१—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४८७—३४८८
विनियोग (संख्या २) विधेयक—पारित	३४८८—३४८९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की छठी रिपोर्ट स्वीकृत	३४८९—३४९
केन्द्र में प्रशासन-तन्त्र तथा कार्यप्रणाली के विषय म संकल्प—असमाप्त	३४९०—३५३८
सोमवार, १९ अप्रैल, १९५४	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—शकूर बस्ती आर्डिनेन्स डिपो में गड़बड़	३५३९—३५४२
सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित	३५४२—३५४३
वित्त विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३५४३—३६१६

पृष्ठ भाग

मंगलवार, २० अप्रैल, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण ३६१७–३६१८

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में संयुक्त समिति—द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन ३६१७

वित्त विधेयक—असमाप्त ३६१८–३६८८

बुधवार, २१ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश—

शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसात्करण विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ३६८९

हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ३६८९

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

भारत भण्डार विभाग द्वारा अस्वीकृत टेण्डरों सम्बन्धी वक्तव्य ३६९०

"भारत में फ्रेंच बस्तियां" नामक दस्तावेज ३६९०

वित्त विधेयक—विचार प्रस्ताव—स्वीकृत ३६९०–३७६२

बृहस्पतिवार, २२ अप्रैल, १९५४

याचिका समिति—पहली रिपोर्ट का उपस्थापन ३७६३

सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिशें ३७६३–३७६४

वित्त विधेयक—संशोधित रूप में पारित ३७६४–३८६८

क्रवार, २३ अप्रैल, १९५४

सदन का कार्य ३८६९–३८७०

सरकारी विधेयकों का क्रम ३८७०–३८७२

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित ३८७२–३८८४

स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक—पारित ३८८४–३९०४

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ३९०४

अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—वादविवाद स्थगित ३९०५–३९२०

खाद्य पदार्थ अपमिश्रण दंड विधेयक—वादविवाद स्थगित ३९२०–३९३०

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—अमसाप्त ३९३०–३९४६

शनिवार, २४ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद से संदेश ३९४७–३९४८, ४०४२

हिन्दचीन के विषय में वक्तव्य ३९४८–३९५६

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक––संशोधित रूप में पारित ३९५६–३९७३

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक––संशोधित रूप में पारित ३९७३–४०३९

लुशाई पहाडी जिला (नाम परिवर्तन) विधेयक––पारित ४०४०–४०४२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक– विचार करने का प्रस्ताव––असमाप्त ४०४२–४०४४

सोमवार, २६ अप्रैल, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र–– ४०४५–४०४६

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या ९–पी० आई० (२५०) ५३, दिनांक १५–२–५४

कलकत्ता बन्दरगाह आयोग के लिये निर्वाचित आयुक्तों के स्थानों का पुनर्वितरण दिखाने वाला विवरण

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या १३–पी० आई० (१२४) ५३, दिनांक १५–२–५४

मद्रास बन्दरगाह न्यास के लिये निर्वाचित न्यासधारियों के स्थानों का पुनर्वर्गीकरण दिखाने वाला विवरण ४०४६–४०५२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक––पारित ४०५४–४०६९

जनता के लिये तात्कालिक महत्वपूर्ण-विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना ––

माओ-माओ आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के सन्देह में सामूहिक रूप से नैरोबी स्थित भारतीय आयुक्त के कार्यालय की तलाशी ४०५२–४०५४

औषधि तथा जादुई चिकित्सा (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक– पारित ४०६९–४१०५

संघीय प्रयोजनों के लिये भूमि का राज्य द्वारा अर्जन (मान्यीकरण) विधेयक–– पारित ४१०५–४१०८

भारतीय रेलवे (द्वितीय संशोधन) विधेयक––पारित ४१०९–४११८

मंगलवार, २७ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ४११९

याचिका-समिति––द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन ४११९

खाद्य स्थिति-याचिका प्राप्त ४११९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

उत्तर बिहार को कोयला तथा सीमेंट ले जाने के लिये अपर्याप्त परिवहन सुविधायें ४१२०–४१२२

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित ४१२२

कारखाना (संशोधन) विधेयक––पारित करने के लिये प्रस्ताव–– असमाप्त ४१२२–४१८२

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक–– परिषद् द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४१८२

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली वर्षा ४१८३–४१८४

स्थगन प्रस्ताव—

माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली-वर्षा ४१८४–४१८९

कारखाना (संशोधन) विधेयक—पारित ४१८६–४१८९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक—पारित ४१८९–४२१४

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने तथा परिचालित करनें का प्रस्ताव—असमाप्त ४२१४–४२६०

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों सम्बन्धी समिति—

सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ४२६१

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ४२६१–४३३६

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ४३३७

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

भारत सरकार तथा नेपाल सरकार के बीच कोसी परियोजना के सम्बन्ध में हुआ समझौता ४३३७

भारत के औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में संशोधन ४३३८

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का १९५१–५२ वर्ष के लिये प्रतिवेदन ४३३९

तारांकित प्रश्न संख्या १२० के उत्तर में शुद्धि ४३३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना—

माही में फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा गोली वर्षा ४३३९–४३४१

स्थगन प्रस्ताव—

फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा माही के निकट गोली वर्षा ४३४१

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ४३४१–४३६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४३६०–४३६५

केन्द्र में प्रशासन तंत्र तथा कार्य प्रणाली सम्बन्धी संकल्प--अस्वीकृत ४३६६–४३९१

हाथ करघा उद्योग के लिये साड़ियों तथा धोतियों के उत्पादन के संरक्षण संबंधी संकल्प--असमाप्त ४३९१–४४०२

शनिवार, १ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्रीय रेशम बोर्ड का बुलेटिन संख्या १९ ४४०३

भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक सम्बन्धी वक्तव्य ४४०३–४४०९

समवाय विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४४१०–४४९६

सोमवार, ३ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखे (डाक तथा तार), १९५१–५२ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५३ ४४९७

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--स्वीकृत ४४९७-४५५१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५५१–४५७६

मंगलवार, ४ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या १० ४५७७

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५७७ ४६४८

GIPD—HS—477 L. S.—3-1-55—285

लोक सभा

शुक्रवार, २३ अप्रैल, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिए भाग १)

८–४६ म० पू०

सदन का कार्य

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि कार्य मंत्रणा समिति की कल एक बैठक हुई थी जिसमें उसने यह तय किया था कि वर्तमान सत्र की शेष अवधि में सरकार जिन पांच अतिरिक्त विधेयकों को लाना चाहती है उनके लिये तथा अन्य कार्यवाही के लिये कितना कितना समय दिया जाये। समिति ने विभिन्न विधेयकों के लिये समय का बटवारा इस प्रकार किया है :—

विधेयक का नाम	**निर्धारित समय**
(१) हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक	२ घंटे
(२) शिलांग (राइफ़िल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसात्करण विधेयक	१ घंटा

(३) रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक	२ घंटे
(४) कॉफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक	२ घंटे
(५) अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान मंडल) विधेयक	२ घंटे

समिति ने यह सिफ़ारिश भी की है कि अणु-शक्ति के शान्तिमय प्रयोगों पर बहस करने के लिये दो घंटे का समय दिया जाये। उपरोक्त कार्यवाही के लिये समय निकालने के हेतु तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सदन प्रधान मंत्री से कोलम्बो सम्मेलन के सम्बन्ध में कुछ जानना चाहेगा और उसके लिये भी समय निकालना होगा समिति ने वर्तमान सत्र को २१ मई तक बढ़ाने की सिफ़ारिश की है।

सरकारी विधेयको का क्रम

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : १७ अप्रैल को मैंने सदन को वर्तमान सत्र की शेष अवधि में सरकार की विधायनी कार्यवाही का क्रम बताने का वचन दिया था। विधेयकों का क्रम इस प्रकार होगा।

(१) न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक—इसे आज लिया जायेगा ;

(२) स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक ;

[श्री सत्य नारायण सिन्हा]

(३) पुस्तक-प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक ;

(४) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक ;

(५) लुशाई पहाड़ी ज़िला (नाम परिवर्त्तन) विधेयक ;

(६) विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक ;

(७) औषधि तथा जादुई चिकित्सा (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक ;

(८) संघीय प्रयोजनों के लिये भूमि का राज्य द्वारा अर्जन (मान्यीकरण) विधेयक ;

(९) भारतीय रेलवे (द्वितीय संशोधन) विधेयक ;

(१०) कारखाना (संशोधन) विधेयक ;

(११) समवाय विधेयक ;

(१२) दंड प्रक्रिया संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक ;

(१३) संसद् सदस्यों का यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता विधेयक ;

(१४) अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक ;

(१५) हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक (संयुक्त समिति के बारे में लोक सभा की सहमति के लिये) ;

(१६) विशेष विवाह विधेयक ;

(१७) हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक, १९५४ ;

(१८) शिलांग (राइफिल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसात्करण विधेयक, १९५४ ;

(१९) रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक; और

(२०) कॉफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक।

अन्तिम दो विधेयक प्रवर समितियों को सौंपे जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल में कुछ अन्य विधेयक भी प्रवर समिति को सौंपे जा रहे हैं।

श्री सत्य नारायण सिन्हा : समवाय विधेयक तथा दंड प्रक्रिया संहिता प्रवर समिति को सौंपे जा रहे हैं। हिन्दू विवाह तथा विवाह विच्छेद के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं।

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री वी० वी० गिरि द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेंगे :—

"That the Bill, as amended, be passed."

["कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"]

श्री तुषार चटर्जी (श्रीरामपुर) : कुछ समय पहले श्रम मंत्री ने केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड में न्यूनतम मजूरी अधिनियम के बारे में अपने जो विचार प्रगट किये थे उससे मैं यह समझा था कि सरकार इस विषय में अब अधिक गम्भीरता से कार्य करने लगेगी। उन्होंने कहा था कि सरकार पर्याप्त न्यूनतम मजूरी निश्चित करने का प्रयत्न करेगी और प्रादेशिक अथवा राज्यों के आधार पर यह मजूरी निश्चित की जायेगी। यदि सरकार का वास्तव में यही इरादा होता तो आज वह एक नई तरह का विधेयक लाती जिनमें ये सब बातें शामिल होतीं। परन्तु ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दे रही है। बहुत लम्बे समय से यह विधेयक विचाराधीन है और यदि सरकार चाहती तो वह विधेयक के पारित होने की प्रतीक्षा न करके अध्यादेश द्वारा ही मज़दूरों

की न्यूनतम मजूरी निश्चित कर सकती थी। पिछले चार वर्षों से समय अवधि बढ़ाई जाती रही है और बेचारे मज़दूर नुकसान उठाते रहे हैं। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में जो तर्क दिया गया है वह संतोषजनक नहीं है। उसमें एक तर्क यह दिया गया है कि भाग 'ख' राज्यों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में पूरी पूरी तैयारी करने के लिये कुछ और समय दिया जाना चाहिये। भाग 'क' राज्यों के लिये कहा गया है कि उनके बारे में कुछ कानूनी कठिनाइयां हैं। यह राज्यों का काम है कि वह समय से इस विधेयक को क्रियान्वित कर दें; सरकार के दोष की ज़िम्मेदारी मज़दूरों पर नहीं डाली जा सकती और उनसे नुकसान भुगतने के लिये नहीं कहा जा सकता। हम तो यह चाहते हैं कि यह विधेयक जल्दी से जल्दी पारित किया जाये। परन्तु हमें अब भी संदेह है कि राज्य सरकारें इस विषय में रुचि दिखायेंगी और समय से न्यूनतम मजूरी निश्चित कर देंगी। मैं सरकार को यह सुझाव दूंगा कि यदि कोई राज्य सरकार समय से इसे क्रियान्वित नहीं करती तो ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिये जिससे मज़दूर लोग एक न्यायाधिकरण को यह मामला निर्दिष्ट कर सकें, जो न्यूनतम मजूरी की दर निश्चित करे और उस दर को मालिक मानें।

फिर, विधेयक में न्यूनतम मजूरी की दर निश्चित करने की व्यवस्था नहीं है। उसमें कहा गया है कि यह देखना राज्य सरकारों का काम है कि मजूरी कितनी हो। हमारा अनुभव तो यह है कि राज्य सरकारें पूर्ण रूप से इस विषय में विचार नहीं करतीं और मज़दूरों की वास्तविक हालत को ध्यान में नहीं रखतीं। यदि सरकार वास्तव में कुछ करना चाहती है तो उसे चाहिये कि स्वयं विधेयक में कोई सीमा निश्चित कर दे।

जहां तक खेतिहर मज़दूरों का सम्बन्ध है विधेयक में राज्यों के कुछ भाग को छोड़ देने की व्यवस्था की गई है। मैं नहीं जानता कि सारे राज्य के लिये व्यवस्था न करके, केवल एक भाग को मजूरी की न्यूनतम दर के निर्धारण का आधार कैसे बनाया जा सकता है। फिर, विधेयक में न्यूनतम दर निश्चित करने के सिद्धान्तों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और इसे पूर्ण रूप से राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। एक त्रिदलीय बोर्ड की व्यवस्था ज़रूर है परन्तु वह अनिवार्य नहीं है। राज्य भी इस दर को निश्चित कर सकता है और कुछ मामलों में त्रिदलीय बोर्ड भी। इससे सिद्ध होता है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं अपनाया है। श्रम मंत्री द्वारा केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड में यह कहा गया बताया जाता है कि उचित मजूरी समिति की सिफ़ारिशों का अनुसरण किया जायेगा और मजूरी की उचित दर निश्चित की जायेगी। हम उन शब्दों पर ही विश्वास नहीं कर सकते; हम चाहते हैं कि स्वयं विधेयक में इसका निश्चित एवं स्पष्ट रूप से उपबन्ध हो।

और एक महत्वपूर्ण बात है। हमें बताया गया है कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें न्यूनतम दरों को वर्तमान दरों से भी कम निश्चित किया गया है। मेरे पास इसके थोड़े से ही उदाहरण हैं क्योंकि सरकार की ओर से अभी हमें इस विषय में पूरी पूरी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है कि विभिन्न धंधों में न्यूनतम मजूरी किस दर से निश्चित की गई है। मैं नहीं जानता कि इसमें ऐसी क्या गुप्त बात है जो सरकार ने हमें अभी पूरी रिपोर्ट नहीं दी है। जब तक सरकार हमें पूरी सूचना नहीं दे देगी तब तक हमारा सन्देह दूर नहीं होगा।

उचित मजूरी समिति की सिफ़ारिशों के बारे में मज़दूर बहुत समय से मांग करते

[श्री तुषार चैटर्जी]

आये हैं कि इन्हें क्रियान्वित किया जाये। समिति ने सिफ़ारिश की है कि न्यूनतम मजूरी का निर्धारण न्यूनतम निर्वाह मजूरी के आधार पर नहीं होना चाहिये; बल्कि इसके लिये मजदूरों की कार्य-कुशलता और उच्चतर निर्वाह स्तर को ध्यान में रखा जाना चाहिये। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि न्यूनतम मजूरी निश्चित करने में मालिकों की मजूरी देने की क्षमता का प्रश्न नहीं आना चाहिये। समिति ने १९४९ में अपनी रिपोर्ट दी थी परन्तु मैं नहीं जानता कि सरकार ने इसके सम्बन्ध में अब तक कुछ किया है या नहीं। हम चाहते हैं कि विधेयक के पारित होने से पहले, उसकी ये सारी कमियां दूर कर दी जायें।

अन्त में, मैं न्यूनतम मजूरी अधिनियम के क्षेत्र विस्तार का प्रश्न लेता हूं। केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड ने भी यही सिफारिश की है कि इस अधिनियम को अन्य उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों पर लागू किया जाना चाहिये। श्रम मंत्री ने स्वयं इसके समर्थन में अपने विचार प्रगट किये हैं। परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि स्वयं विधेयक में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है।

एक बात और है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह अधिनियम केवल उन्हीं मजदूरों पर लागू होगा जिनकी संख्या किसी राज्य में १,००० या उससे अधिक है। किसी उद्योग में काम करने वाले १,००० से कम मजदूरों पर यह लागू न होगा। मान लीजिये किसी राज्य में एक उद्योग में केवल ९०० मजदूर काम करते हैं तो उन पर यह अधिनियम लागू न होगा। किन्तु यह बात तो ठीक नहीं है। मैं पूछता हूं कि इन मजदूरों ने ऐसा क्या किया है जो उन पर यह लागू नहीं किया जायेगा? वास्तव में, माननीय मंत्री ने जो विचार प्रगट किये हैं और इस विधेयक के वर्तमान प्रारूप में बहुन्त अन्तर है। अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक की गलतियां ठीक की जायें तथा उसको ठीक से संशोधित रूप में प्रस्तुत किया जाये जिससे मजदूरों की मांगें पूरी हो सकें।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नल्लोर) : मैं भी यह चाहता हूं कि मजदूरों की हालत में सुधार हो, उनके रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मद्रास और आन्ध्र राज्य के अनेक औद्योगिक क्षेत्रों में न्यूनतम मजूरी निर्धारित कर दी गई है। किन्तु सरकार ने इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं की कि इसका परिणाम क्या हुआ है। छोटे छोटे पूंजीपति निर्धारित की गई मजूरी नहीं दे पाते हैं और उन्हें अपने कारखाने बन्द करने पड़ते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सकड़ों व्यक्ति बेकार हो जाते हैं। न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने में कहीं कहीं पर तो महंगाई भत्ते को भी मजूरी में शामिल कर लिया गया है। लेकिन इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं की गई कि कारखाने के मालिक इतनी मजूरी देने के समर्थ भी हैं या नहीं। अतः मेरा निवेदन है कि इस बारे में सरकार फिर से विचार करे तथा उचित संशोधन करे।

खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने की समस्या तो और भी जटिल है। परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं। प्रवीण और अप्रवीण खेतिहर मजदूरों को भी आपको ध्यान में रखना है। उन्हें पूरे साल भर तो काम मिलता नहीं। अकसर उन्हें बेकार रहना होता है। होता यह है कि जो न्यूनतम मजूरी होती है वह अक्सर कम होती है और मजदूर अधिक मजूरी पाना चाहता है। उसे काम भी मिल जाता है। मगर इस

अधिनियम के अन्तर्गत तो उसे हानि उठानी पड़ेगी । इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम न होने के कारण न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार खेतिहर मजदूरों के बारे में न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने से पहले ज़मीदारों से भी राय ले ले जैसा कि वह औद्योगिक क्षेत्र में करती है । गांवों में तो शहरों से बिल्कुल भिन्न स्थिति है । गांवों में जरा भी गड़बड़ी हो जाने पर अनाज के उत्पादन पर गहरा असर पड़ सकता है । अतः मेरा यही निवेदन है कि इस सम्बन्ध में सरकार ध्यानपूर्वक विचार करे तथा ऐसी व्यवस्था करे जिससे कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक व्यक्ति बेकार न हों ।

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : मैं सदन के उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक के सम्बन्ध में रचनात्मक सुझाव रखे हैं । मेरा निवेदन है कि सामाजिक विधान को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिये यह आवश्यक है कि उसके पक्ष में जनमत तैयार किया जाये, प्रचार हो तथा इस मामले में मजदूरों को न्यूनतम मजूरी सम्बन्धी विधान की बातें बताई जायें तथा मालिकों और राज्य सरकारों से बराबर सम्पर्क बनाये रखा जाये क्योंकि राज्य सरकारें ही इस अधिनियम को लागू करती हैं । जिन सदस्यों को इस विषय में दिलचस्पी है उन्हें चाहिये कि राज्यों का प्रतिनिधि होने के नाते वे राज्य सरकारों, मजदूरों और मालिकों से इस अधिनियम को पूरी पूरी तरह से कार्यान्वित कराने की कोशिश करें । वे विभिन्न सलाहकार कमेटियों से भी सम्पर्क बनाये रखें जिनका काम न्यूनतम मजूरी तय करना है । वास्तव में, यह जिम्मेदारी उन्हें अपने ऊपर ले लेनी चाहिये कि अनुसूचित उद्योग धंधों में कैसी परिस्थितियां हैं और इस अधिनियम को वहां पर ठीक ठीक लागू किया जा रहा है या नहीं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मजदूर संघ नेताओं को चाहिये कि वे ठोस और प्रजातंत्रात्मक मजदूर संघ बनाने के सम्बन्ध में अपना प्रभाव डालें, चाहे वे कृषि क्षेत्र में हों या भाग १ में अनुसूचित उद्योग धंधों में । जब तक राज्यों में वास्तविक और क्रियाकारी काम नहीं किया जाता है तब तक केन्द्र द्वारा आदेश भेज देने से कुछ भी न होगा । अतः मेरा माननीय सदस्यों से जो कि केन्द्र और राज्य सरकारों के काम की छानबीन करने में अधिक ध्यान देते हैं, यह निवेदन है कि वे इस अधिनियम को कार्यान्वित करने में सक्रिय रूप से सहायता दें ।

चर्चा के दौरान में उठाई गई विशिष्ट बातों के सम्बन्ध में कुछ कहने से पहले मैं सदन का ध्यान उस बातचीत की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो कि हमने इस सम्बन्ध में जनवरी में भारतीय श्रम सम्मेलन के मैसूर के अधिवेशन में और न्यूनतम मजूरी केन्द्रीय मंत्रणाकार बोर्ड के बम्बई के अधिवेशन में, जो कि इस महीने की ८ और ९ तारीख को हुआ था, की थीं ।

क्योंकि भारतीय श्रम सम्मेलन एक त्रिदलीय संगठन है और उसका श्रम क्षेत्र में काफी महत्व है इसलिये मैंने यह अच्छा समझा कि मजूरी जैसे महत्वपूर्ण विषय को उसके सामने रखा जाये । सम्मेलन ने न्यूनतम मजूरी अधिनियम की कार्यान्विति, मजूरी के निर्धारण के सिद्धान्तों, वास्तविक निर्धारण में समानता, तथा अधिनियम के क्षेत्र को बढ़ाने, आदि, के प्रश्नों पर विचार किया । विभिन्न हितों द्वारा रखे गये अनेक सुझावों पर विचार करने के पश्चात् सम्मेलन ने एक संकल्प पारित किया कि जहां तक अनुसूची के भाग १ का सवाल है, अधिनियम की

[श्री वी० वी० गिरि]

कार्यान्विति के लिये ३१ दिसम्बर, १९५४ तक समय बढ़ा दिया जाये और इसमें यह भी कहा गया है कि केन्द्रीय मंत्रणाकार बोर्ड, यह ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों के लिये निदेशों की संहिता तैयार करनी है, इस बात की जांच करे कि अब तक अधिनियम किस प्रकार से कार्यान्वित किया गया है जिससे कि मजूरी के निर्धारण के सम्बन्ध में सिद्धान्त बना दिये जायें। सम्मेलन ने यह भी सिफारिश की कि सरकार केन्द्रीय मंत्रणाकार बोर्ड की सलाह से अतिरिक्त धंधों के सम्बन्ध में इसे लागू करने के बारे में अधिसूचना प्रकाशित करे। ८ और ९ अप्रैल, १९५४ को केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की एक बैठक हुई थी। बोर्ड ने भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों पर विचार किया तथा अन्य मामलों की भी जांच की जिनमें आंकड़े इकट्ठे करने के सम्बन्ध में तरीकों का प्रमाणीकरण, मिले हुए राज्यों या एक ही प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र में मजूरी के बारे में असमानता, अधिक समय तक काम करने के लिये भुगतान तथा साप्ताहिक छुट्टी के बारे में एकरूपता आदि सम्मिलित हैं। बोर्ड द्वारा की गई अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशों में से मैं 'राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी' का उल्लेख करना चाहता हूं जिसके बारे में विस्तार में चर्चा की गई थी। बोर्ड ने यह सिफारिश की थी कि क्षेत्रवार और धंधेवार वर्गीकरण के अनुसार किसी भी वर्ग के मजदूरों की दैनिक मजूरी कम से कम १ रुपये दो आने से लेकर २ रुपये तक से नीची नहीं होनी चाहिये। हो सकता है यह एक महत्वपूर्ण कदम हो और मैं इस सुझाव को श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में भी रखूंगा ताकि आगे जो कार्यवाही की जाये वह नीति की दृष्टि से उच्चतम स्तर पर भी स्वीकार कर ली जाये।

अब मैं चर्चा के दौरान में उठाई गई सबसे महत्वपूर्ण बातों को लेता हूं। मुख्य आलोचना यह की गई है कि अधिनियम की कार्यान्विति संतोषजनक नहीं रही है। इस सम्बन्ध में मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि अधिनियम के अन्तर्गत ३१ मार्च १९५२ के पश्चात् उन धंधों के बारे में न्यूनतम मजूरी नहीं निर्धारित की जा सकी जिनका उल्लेख अधिनियम की अनुसूची के भाग १ में किया गया है, क्योंकि मजूरी निर्धारित करने की समय-सीमा खत्म हो चुकी थी। यहां तक कि वर्तमान विधेयक ही एक वर्ष से सदन के सामने है जैसा कि उस ओर बैठे हुए एक माननीय सदस्य ने कहा था। हम चुपचाप नहीं बैठे रहे हैं। हम राज्य सरकारों पर समस्त प्रारम्भिक कार्यों के करने के लिये जोर डालते रहे हैं जैसे सम्बन्धित हितों के साथ परामर्श करके कमेटियों और उपकमेटियों को स्थापित करना—जिससे जैसे ही यह विधेयक पारित हो जाये वैसे ही न्यूनतम मजूरी निर्धारित कर दी जाये। केन्द्र के सम्बन्ध में भी, न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के लिये एक कमेटी, न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण करने के लिये एक सलाहकार कमेटी और उनके कार्यों का समायोजन करने के लिये एक बोर्ड बनाया जा रहा है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि इन प्रारम्भिक मामलों के बारे में अच्छी प्रगति हो चुकी है तथा मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि जहां तक अनुसूची के भाग १ में उल्लिखित धंधों का सम्बन्ध है ३१ दिसम्बर, १९५४ से आगे समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

अनुसूची के भाग २—अर्थात् कृषि सम्बन्धी सेवा-योजना—के सम्बन्ध में योजना आयोग ने प्रथम वर्ष की योजना में सिफारिश की है कि इस कालावधि में न्यूनतम मजूरी

विधान को पूर्ण तथा प्रभावी रूप से प्रवर्तित किया जाना चाहिये । कम मजूरी के क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के लिए, अधिक बड़े कृषि क्षेत्रों तथा प्रभावी विकास के हेतु चुने गये क्षेत्रों में न्यूनतम मजूरी का प्रवर्तन कृषि श्रमिकों की स्थिति सुधारने के कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू समझा जाना चाहिये और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिये । आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण और राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई प्रशासनिक कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने का काम सीमित रूप में आरम्भ हो जाना चाहिये, और ज्यों ज्यों अनुभव प्राप्त हो जाये उसकी सीमा का विस्तार किया जाना चाहिये । यह योजना आयोग का विचार है । फिर भी यह स्वीकार करना पड़ता है कि इस विस्तृत प्रवर्तन के कार्यक्रम के आधार पर जितने अधिक क्षेत्रों में सम्भव हो सके न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने में वास्तविक प्रगति करनी चाहिये । इसलिये कालावधि बढ़ाने के हेतु अधिनियम के संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, ताकि शेष क्षेत्रों में ३१ दिसम्बर १९५४ तक न्यूनतम मजूरी निर्धारित की जा सके । यह तो माना जायेगा कि भारत जैसे बड़े देश में जहां कृषि श्रमिक सर्वथा असंगठित हैं, इस अधिनियम को एक साथ सारे देश में लागू करना कठिन है । इसके अतिरिक्त इस देश के सारे ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के विधान को लागू करने के लिए एक बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता होगी । न्यूनतम मजूरी केन्द्रीय मंत्रणाकार बोर्ड ने अपने बम्बई अधिवेशन में इस विषय पर भी विचार किया था । इस अधिवेशन में सब वर्गों के श्रमिकों, मालिकों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि उपस्थित थे । बोर्ड ने यह सिफारिश की कि योजना में बनाई गई प्रणाली पर कार्यवाही करनी चाहिये । राज्य सरकारें शनैः शनैः मजूरी निर्धारित करेंगी और यथा समय स्थिति पर पुनर्विचार किया जायेगा । मैं फिर इन सब तथ्यों को सदन के समक्ष रखूंगा और यदि आवश्यकता हुई तो कालावधि बढाने की मांग करूंगा ।

एक और बात जो वाद विवाद में कही गई है, यह थी कि देश में सब औद्योगिक स्थापनाओं में न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू किया जाना चाहिये । इस सुझाव का आधार कोई गलत धारणा हैं । उन नौकरियों को इस अधिनियम के अधीन लाना अपेक्षित है जो असंगठित ह, और जिन्हें अधिक श्रम करना पड़ता है और जहां कार्मिक संघ नहीं हैं, अथवा जहां सुगमता से शक्तिशाली कार्मिक संघ बनाये जा सकते हैं और जहां श्रमिकों में सौदेबाजी का सामर्थ्य बहुत कम है अथवा बिल्कुल नहीं है । इसलिए सामान्यतः सब प्रकार की नौकरियों को इस के अधीन लाना उचित नहीं होगा । केन्द्रीय मंत्रणाकार बोर्ड ने उन अतिरिक्त नौकरियों पर विचार करते हुए जिन्हें अधिनियम के अधीन लाने की आवश्यकता है, सिफारिश की थी कि विशेषतः उन नौकरियों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के प्रश्न की जांच करनी चाहिये, जिन्हें कुछ राज्यों ने अधिनियम में या तो सम्मिलित कर लिया है या सम्मिलित करने का सुझाव दिया है । कुछ सदस्यों ने केन्द्र द्वारा समन्वय न किये जाने की आलोचना की है । मैं यह अवश्य कह देना चाहता हूं कि अधिनियम का प्रवर्तन मुख्यतः राज्य सरकारों को करना है । अतः केन्द्र को ध्यानपूर्वक तथा आवश्यक सीमा तक अपना कर्तव्य पूरा करना है ।

एक मुख्य कार्य जो केन्द्र ने किया है वह अधिनियम के आदर्श नियम बनाना है और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि राज्यो ने सामान्यतः उन्हें स्वीकार कर लिया है । केन्द्र, केन्द्रीय मंत्रणाकार बोर्ड द्वारा, समन्वयकरण प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करता

[श्री त्री० वी० गिरि]

है । भारतीय श्रमिक सम्मेलन के हाल के अधिवेशन के समान त्रिदलीय बैठकों में चर्चा द्वारा भी समन्वय किया जाता है । राज्यों से अधिनियम के प्रवर्तन के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के लिये कहा गया है । केन्द्र इन प्रतिवेदनों का संकलन करेगा, ताकि न्यूनतम मजूरी अधिनियम के प्रवर्तन की अखिल भारतीय आधार पर रूप रेखा की जा सके ।

यह कहा गया है कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम का बहुत उल्लंघन हुआ है, और राज्य सरकारों ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है । जहां तक मुझे पता है राज्य सरकारें उल्लंघन के मामलों के विरुद्ध कार्यवाही करती हैं । हमने औद्योगिक श्रमिक नियुक्त करने वाले, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों पर भी ज़ोर डाला है कि उन्हें अधिनियम के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों का पूर्ण सहयोग देना चाहिये ।

मेरा विचार है कि विवाद में उठाई गई बहुत सी महत्वपूर्ण बातों का मैंने उत्तर दे दिया है । जैसा मैंने बताया सरकार पहले ही इन बातों पर बहुत ध्यान दे रही है और हाल ही में केन्द्रीय मंत्रणाकार बोर्ड ने, जिसकी बैठक हाल में बम्बई में हुई थी, उन में से बहुत बातों पर विचार किया था । बोर्ड की सिफारिशों पर शीघ्र ही आगामी कार्यवाही की जायेगी । अब मुझे आशा है कि मालिकों, श्रमिकों और राज्य सरकारों की सहकारिता द्वारा हम आगे बढ़ सकेंगे, और शीघ्र ही अधिक श्रम वाले और असंगठित उद्योगों के श्रमिकों को इसके अन्तर्गत लाया जायेगा, और जो उचित मजूरी बाद में निश्चित की जायेगी उसके अनुरूप न्यूनतम मजूरी उन्हें दी जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संशोधित रूप में विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

स्वेच्छापूर्बक वेतन परित्याग (करारोपण विमुक्ति) संशोधन विधेयक

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मैं प्रस्ताव करता हूं .....

उपाध्यक्ष महोदय : वे श्री सी० डी० देशमुख की ओर से प्रस्ताव प्रस्तुत करें । अन्यथा अभिलेख पूर्ण नहीं होगा ।

श्री ए० सी० गुहा : आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण विमुक्ति) अधिनियम १९५० में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह एक विवाद रहित विधेयक है । वर्तमान अधिनियम की धारा २ (२) में उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जिन पर यह विमुक्ति लागू होगी । परन्तु यह सूची सारे विधेयक को एक बंधी हुई वस्तु बना देती है । यदि ऐसे पदाधिकारियों में वृद्धि हो जिन्हें यह विमुक्ति दी जानी हो, जो स्वेच्छापूर्वक अपने वेतन का कुछ अंश परित्याग करने के लिये तैयार हों, तो इस अधिनियम का संशोधन करने की आवश्यकता होगी । इस अधिनियम को पारित करने के बाद कई लोगों ने विमुक्ति सूची में सम्मिलित होना चाहा । यदि माननीय सदस्य इस सूची को देखें तो पता लगेगा कि अध्यक्ष और सभापति भी इस सूची में सम्मिलितनह हैं यद्यपि उन्होंने भी अपने वेतन के कुछ भाग का परित्याग

किया है। इसलिये, इस विधेयक में हमारा यह प्रस्ताव है कि इस सूची को बंधी हुई रखने के बजाय, इसको खला रखा जाये ताकि कोई भी व्यक्ति जो अपने वेतन का कुछ भाग परित्याग करे और लिखित घोषणा करे तो उसे विमुक्ति दी जाये। इस अधिनियम की धाराओं २ और ३ के स्थान पर संशोधक विधेयक का खण्ड २ रखा जा रहा है।

आयकर अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति को देय आधार पर कर देना पड़ता है अर्थात् उसे उस राशि पर कर देना पड़ता है जो उसे देय है न कि उस पर जो वह प्राप्त करना चाहता है। परन्तु स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग अधिनियम १९५० के उपबन्ध के अन्तर्गत जो विमुक्ति दी जाती है उसे वह नहीं मिल सकती। भारतीय आयकर अधिनियम के अधीन इस कठिनाई और बाध्यता को दूर करने के लिये मैं यह संशोधक विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे आशा है कि प्रस्तावित विधेयक को स्वीकार करने के लिये सदन के किसी भी पक्ष को आपत्ति नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : हम प्रस्तुत विधेयक का प्रसन्नता से अनुमोदन करते हैं, परन्तु एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि स्वेच्छापूर्वक परित्याग से कुछ नहीं होगा। कतिपय सरकारी कर्मचारियों और पदाधिकारियों के वेतनों की उच्चतम सीमा होनी चाहिये। हमने पहले ही स्पष्ट रूप में बताया था कि चाहे कोई किसी पद पर हो ३,०००, ४,००० और कभी कभी १०,००० रुपये तक के वेतन नहीं रहने दिये जाने चाहियें। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि मंत्रियों को ५०० रुपये मासिक वेतन मिलना चाहिये। मुझे आंकड़ ठीक याद नहीं परन्तु यदि मंत्री को ५०० रुपये वेतन मिले तो सचिवों को ३,००० और ४,००० रुपये वेतन की प्रत्याशा नहीं करनी चाहिये। माननीय मंत्री ने भारत में कृषि श्रमिकों को दैनिक न्यूनतम मजूरी एक रुपया दो आने बताई है, जो ३५ रुपये मासिक बनती है। दूसरी ओर राष्ट्रपति को १०,००० रुपये दिये जाते हैं। इतना बड़ा अन्तर नहीं रहना चाहिये। यह किसी प्रकार न्यायोचित नहीं है। सरकार को विधेयक द्वारा अधिकतम वेतन निर्धारित करना चाहिये। आज की परिस्थितियों में यह १,००० रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये। यह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति और अन्य पदाधिकारियों की स्वेच्छा पर नहीं छोड़ दिया जाना चाहिये कि क्योंकि उनमें मानव कल्याण की भावना है इसलिये वे स्वेच्छापूर्वक वेतन का परित्याग करें। संसद् के सदस्यों के वेतन के सम्बन्ध में जो कुछ सदस्यों ने भाव प्रकट किये, उन्हें आपने सुना है। उन्होंने कहा है कि उनका वेतन ३०० रुपये मासिक से अधिक नहीं होना चाहिये। इसका यह अभिप्राय नहीं कि संसद् के सदस्य का उत्तरदायित्व ३,००० रुपये लेने वाले सचिव से कम है। अधिकतम वेतन का निर्णय किसी पदाधिकारी के कार्य, देश की स्थिति और राजकोष की स्थिति के आधार पर करना चाहिये। सरकार को एक स्पष्ट विधान प्रस्तुत करना चाहिये, जिसमें न्यूनतम और अधिकतम वेतन निर्धारित हों। माननीय श्रम मंत्री ने स्वयं न्यूनतम वेतन का निर्धारण एक रुपया दो आना प्रति दिन किया है। और उनका कहना है कि वह भी नहीं दिया जा सकेगा। आज की परिस्थितियां और आर्थिक संकट और देश के सामान्य व्यक्ति के जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए १,००० रुपये से अधिक वेतन किसी का नहीं होना चाहिये। माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे यथाशीघ्र ऐसा विधान प्रस्तुत करें। तब तक हम इन परोपकारी महानुभावों के दान को स्वीकार करते रहेंगे।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हाबोर) : देश में वेतन आदि दिये जाने के बारे में जिस सिद्धान्त का पालन करने का श्री नम्बियार ने सुझाव दिया है मैं उसका सर्वथा समर्थन करता हूं। जैसा कि विधेयक के प्रस्तावक ने कहा, हमें इसका समर्थन करना चाहिये और राष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि उन व्यक्तियों का स्वागत करना चाहिये जिन्होंने स्वेच्छा से वेतनों में से परित्याग किया है। उनसे कर नहीं लिया जाना चाहिये।

मैं केवल एक बात पर विरोध करता हूं और वह सिद्धान्त का प्रश्न है। जिस रूप में सरकार द्वारा अधिनियम का संशोधन किया जा रहा है उससे यह बात प्रकट होती है कि उच्च वेतन पाने वाले अधिकारी तो होंगे और वे अपने वेतन में स्वेच्छा से परित्याग कर सकते हैं। जब राष्ट्रपति के पद के लिये १०,००० रुपये का वेतन निश्चित किया गया, उस समय विचार यही किया गया कि शायद कोई ही ऐसा व्यक्ति मिले जो किसी विशेष वेतन से कम पर यह पद लेना स्वीकार करे। यह सरकार की एक बड़ी गलती है। हमारे यहां राष्ट्रपति अथवा मंत्री वही लोग बने हैं जो जनता के प्रतिनिधि हैं और जो लोक-सेवा की भावना से काम कर रहे हैं, न कि अपना तथा अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिये। इस लिये मैं समझता हूं कि ऐसे पदों के लिये व्यक्ति चुनने में वित्तीय लाभ का कोई विचार नहीं रखा जाना चाहिय और सरकार को चाहिये कि वेतन दरों में कमी करे।

इस संशोधन विधेयक से सरकार एक ऐसा मनोवैज्ञानिक वातावरण फैलाने का प्रयत्न कर रही है कि जो व्यक्ति विशेष अपने वेतन का कुछ भाग परित्याग करे उसके बारे में यह समझा जाय कि वह बड़ी उदारता का काम कर रहा है। जब सरकार को पता है कि कई लोग कम वेतन पर अपने ऊपर यह भारी उत्तरदायित्व लेने को तैयार हैं तो वह कम राशि के वेतन क्रम क्यों नहीं निश्चित करे रही है? हम एक लोक-कल्याण राज्य स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिये यह एक मूल बात है कि वेतन-क्रम कम कर दिये जायें। जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं, परन्तु सरकार को चाहिये कि अवश्य ही ज्येष्ठ तथा उत्तरदायी पदाधिकारियों के वेतन-क्रमों में कमी करे।

पंडित के० सी० शर्मा (ज़िला मेरठ--दक्षिण) : श्रीमान्, मैं उन व्यक्तियों की भावना की सराहना करता हूं जो स्वेच्छा से अपने वेतन के कुछ भाग का परित्याग करते हैं। परन्तु, साथ ही मैं यह बात अच्छी नहीं समझता कि राज्य अपने सेवकों से दान ले ले। यदि उन्हें धन नहीं चाहिये तो वे विभिन्न संस्थाओं को अंशदान दे सकते हैं और इस प्रकार की सहायता कर सकते हैं। राज्य क्यों किसी व्यक्ति के उस दान पर निर्भर रहे जो वह कोई काम करने के लिये प्राप्त करने वाले अपने वेतन में से देता ह।

इसका एक बुरा पहलू यह है कि ऐसे व्यक्ति में अपनी क्षमता अथवा योग्यता के अनुसार पूरा काम करने की इच्छा नहीं रहती। राज्य ऐसे व्यक्ति से पूरे काम की आशा नहीं कर सकता। यह इस मामले का एक बहुत ही खतरनाक पहलू है। अच्छा यह है कि ऐसे व्यक्ति को सारा वेतन लेने दीजिये और इस बात पर विश्वास रखिये कि वह लोक-कल्याण के लिये ही इसका उपयोग करेगा। वह धर्मार्थ संस्थाओं को दान दे सकता है।

१० म० पू०

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यह बहुत नान-कंट्रोवर्शल सा बिल है। इस के ऊपर ज्यादा बहस की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो ख्यालात हाउस के अन्दर जाहिर हुए हैं, मैं उनके बारे में दो एक लफ्ज़ अर्ज़ करना चाहता हूं।

जहां इन्कम टैक्स महकमे का सवाल है, या फाइनेन्स महकमे का सवाल है, मैं इसे एप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने जो देश का मामूली कानून है, उससे थोड़ा सा डिपार्चर किया। एक शख्स अगर कोई आमदनी करता है तो उसे जो पे मिलती है या और जो इमाल्युमेंट्स मिलते हैं, सारी उसकी आमदनी सब्जेक्ट टु टैक्स होती । हैं अगर उसकी आमदनी बढ़ जायेगी तो गवर्नमेंट की आमदनी भी बढ़ जायेगी। अगर यह बिल पास न हो तो इस के माने यह हैं कि जिन बड़े अफसरान ने गवर्नमेंट ट्रेज़री में देना मंजूर किया है, उन के ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा। उनकी जितनी आमदनी है उस सारे पर टैक्स लगे और गवर्नमेंट को उसके कलेक्शन का हक हो। एक बात में फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने ज़रूर ज़रा अक्लमंदी से काम लिया। मुझको एक रूलिंग याद है जिस के अन्दर एक बड़े प्रोफेसर ने इसी तरह से अपनी आमदनी का एक हिस्सा कुछ युनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के स्कालरशिप के लिये दे दिया था। और उसके ऊपर बराबर सारी पे पर टैक्स लगता रहा। हालां कि उसने अपनी आमदनी का हिस्सा दे दिया था फिर भी टैक्स लगाने के लिये उसकी सारी तन्ख्वाह ही उसकी आमदनी करार दी जाती रही। उसने यह भी कह दिया था कि खजाने से वह हिस्सा उसकी आमदनी का सीधे भेज दिया जाया करे, उसको न मिले, फिर भी उसका कोई असर नहीं हुआ। तो एक तरह से यह बिल उन अश्खास के हक में है जिन लोगों ने वालेन्टरी सरेंडर कर दिया है, यह बात वाजिब ही रखी गई है। पहले यह रियायत थोड़े आदमियों को थी, अब यह कुछ ज्यादा आदमियों के लिये बढ़ा दी गई है। लेकिन मैं अर्ज़ करूंगा कि अभी भी यह रियायत थोड़े ही आदमियों को दी गई है। सिर्फ शेड्यूल वाले आदमियों के लिये पहले थी, दूसरे क्लास वालों के लिये नहीं रखी गई थी जो कि प्रांविशियल या स्टेट गवर्नमेंट्स के कानूनों से बनी हुई नौकरियां हैं उन के लिये नहीं थी। अब उन को यह रियायत दी गई है जिनकी सेन्ट्रल ऐक्ट के मातहत तन्ख्वाह मुकर्रर है। अच्छा हो अगर इस उसूल का अमेंडमेंट हो जाय। जो भी लोग अपनी आमदनी का हिस्सा पब्लिक काम के लिये देते हैं, या गवर्नमेंट को वापिस कर देते हैं उसको रेस्ट्रिक्ट करना वाजिब नहीं था। इसलिये मैं अर्ज़ करूंगा कि इसे रेस्ट्रिक्ट न किया जाय, और ज्यादा बढ़ाया जाय।

बात यह है कि जो रियायत इन बड़े अफसरान को दी जाती है वह छोटे से छोटे अफसरान को दी जाय और हर एक शख्स को दी जाय। जो भी खजाने में इस तरह रुपया दाखिल करना चाहे उसके लिये यह सहूलियत होनी चाहिये। यह ऐक्ट इस तरह से बड़ा इन्नोसेन्ट है, और इसके अन्दर बहुत अच्छी स्पिरिट है। अगर इसकी रियायत सिर्फ इन्हीं बड़े बड़े अफसरान को पहुंचाई जाय तो यह बहुत डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन होगा ।

दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि इससे यह साबित हुआ कि हमारे यहां के बड़े बड़े अफसरान प्रेजिडेन्ट साहब, स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, जज साहबान, हर एक अपने अमल से यह जाहिर करते हैं कि दरअस्ल जो इमाल्युमेंट्स रखे गये हैं उन के लिये उन में कमी की गुंजाइश है। वह अपने आप खुद वालेन्टरी कट के लिये कहते हैं, वह हमारी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने मेहरबानी करके इसे सोच कर कि हालांकि वह ज्यादा ले सकते हैं फिर भी वह ज्यादा न लें, यह कट करवाया। लेकिन उनके इस ऐक्ट से यह साबित है कि किसी भी सबब से अगर ज़रूरत पड़ जाये तो दरअस्ल जो इमाल्युमेंट्स रखे गये हैं वह इतने हैं कि जिस के

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

अन्दर वह लोग जैनरासिटी दिखला सकते हैं ।

इसमें शक नहीं कि यह जेनरासिटी है अगर एक आदमी अपनी रोटी में से कुछ निकाल दे और उसका हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना अच्छा है । लेकिन इससे साबित होता है, जैसा कि मेरे चन्द दोस्तों ने जिक्र किया, कि तनख़्वाह का स्टैंडर्ड ज़रूरत से ज्यादा है ।

इस जिम्न में दो बातों का जिक्र मेरे दोस्तों ने किया, एक सेक्रेटरी लोगों की तनख़्वाह का और दूसरा मिनिस्टरों की तनख़्वाह का । मिनिस्टर साहिबान के बारे में तो मैं नम्बियार साहब से मुत्तफिक नहीं हूं । अगर आज आप किसी मिनिस्टर को ५०० रुपये तनख्वाह दें तो यह पब्लिक स्कैंडल होगा । जिस वक्त महात्मा गांधी ने यह फरमाया था उस वक्त रुपये की कीमत आज से चौगुनी थी । आज अगर आप मिनिस्टर को ५०० रुपये देंगे तो उसका काम नहीं चल सकेगा । बहुत सारे मेम्बर सेशन के दिनों में उस के यहां जाकर ठहरते हैं तो वह उनका खर्चा कैसे बरदाश्त कर सकेगा । हमारे यहां पंजाब में मेम्बर लोग मिनिस्टर के यहां आकर ठहरते हैं । आप मुनासिब तनखाह दें यह ठीक है लेकिन वह ५०० नहीं होनी चाहिये ।

सेक्रेटरीज़ के बारे में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि उसके बारे में हम मुआहिदे कर चुके हैं और उनको हम तोड़ना नहीं चाहते । हम देखते हैं कि सेक्रेटरी को मिनिस्टर से ज्यादा तनख्वाह मिलती है लेकिन हम अपने मुआहिदे को नहीं तोड़ना चाहते । इस वास्ते इन दो बातों पर मेरा इख्तिलाफ है ।

बाकी जहां तक और बड़े अफसरान की ऊंची तनखाह का सवाल है मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हमको दोबारा उनकी तनखाहों का रिवीज़न करना चाहिये ताकि पबलिक के सामने यह एक चीज़ आये कि हम किसी की भी जेनरासिटी पर नहीं रहना चाहते । ज्यादा अच्छा होता कि वह लोग जिन्होंने वालंटरी तौर पर सरेंडर किया है वह किसी और अच्छे काम में रुपया देते । बहुत सारे अच्छे काम हैं । और गवर्नमेंट के खज़ानें में भी जितना रुपया आवे अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत से अच्छे काम कर रही है । लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह के वालटरी सरेंडर के गवर्नमेंट का ख़ज़ाना बहुत दूर तक नहीं भर सकता । यह अच्छा हो कि वह अपनी पूरी तनखाह लें, उस पर इन्कम टैक्स दें और जो उनकी जरूरत से ज्यादा हो वह किसी अच्छे काम के लिये दे दें ।

जहां तक रिवीज़न आफ स्केल का सवाल है मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जह दे । अभी अफसरान और दूसरे लोगों की तनख़्वाहों में ज्यादा फर्क है । अब वक्त आ गया है कि हम बड़ी आमदनियों में और छोटी आमदनियों में ज्यादा फर्क नहीं रखना चाहते, कुजा तनख़्वाहों में फर्क कैसे ठीक समझ सकते हैं । इसलिये मैं इतना कह कर इस बिल को सपोर्ट करता हूं ।

श्री **टेकचन्द** (अम्बाला–शिमला) : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान एक विशेष पहलू की ओर दिलाना चाहता हूं । देखने में तो यह बात अच्छी ही है कि कुछ लोग अपने वेतन में से किसी भाग का स्वेच्छा से परित्याग करें । परन्तु इसमें एक छिपा दोष है । ऐसी प्रणाली चलाने से एक ऐसा वर्ग बन जायेगा जो उन लोगों का होगा जो अपने हालात के अनुसार परित्याग कर सकते हैं और दूसरा ऐसा वर्ग भी होगा जो ऐसा न कर सकें क्योंकि उन लोगों की ज्यादा जिम्मेवारियां है । नतीजा यह होगा कि कुछ तो दानी कहलायेंगे, उनके अधिकारी उनकी

प्रशंसा के गीत गायेंगे और कुछ अप्रिय बन जायेंगे। देखादेखी बढ़ जायेगी और जो लोग परित्याग न भी कर सकते हों, वह ऐसा करने पर मजबूर होंगे। मैं समझता हूं कि अधिकांश पदाधिकारी देखादेखी के कारण ही मजबूर हो कर वेतन के कुछ भाग का परित्याग करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का यह अवांछनीय अन्तर होने न पाये। यद्यपि सरकार समझती हैं कि वेतन-क्रम ज्यादा हैं तो वे उन में कटौती करें, परन्तु ऐसी परित्यजन प्रणाली न अपनायें। यदि वेतन-क्रम उचित समझे जाते हैं, तो ठीक हैं। वही रहने दीजिये। जो लोग दान करना चाहें, लोकसहायता करना चाहें, वे कई प्रकार के दान कर सकते हैं।

सरकार को चाहिये कि इस बारे में सोच समझ कर कदम उठाये।

श्री अच्युतन (क्रेंगान्नूर) : जो व्यक्ति अपने वेतन का एक भाग आयकर विभाग से बचने के लिये लौटाना चाहते हैं यह व्यवस्था केवल उन्हीं लोगों के लिये है। इस व्यवस्था से देश में आश्चर्य उत्पन्न नहीं होगा। उच्च पदाधिकारियों के वेतन में फेर बदल करने और उन्हें अधिक सुविधायें देने की ओर हमारा अधिक ध्यान है। देश पर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा।

जैसा श्री नम्बियार ने कहा, जनसाधारण का विचार है कि कांग्रेस सरकार उच्च अधिकारियों के वेतन पर हाथ नहीं लगा रही है। इसका कारण भूतपूर्व सरकार द्वारा उन्हें दी गई प्रतिभूतियां हैं। इससे एक मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न हो जाता है तथा विरोधी दल इसका लाभ उठाते हैं।

हमारे राज्य में ऐसा हो रहा है। सत्तारूढ़ प्रजा समाजवादी दल ने घोषित किया है कि मंत्रीगण अपना वेतन ७५० रु० से घटा कर ५०० रु० कर देंगे। इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होगा। अतः कांग्रेस सरकार को अपने उच्च पदाधिकारियों के वेतन में कमी करना चाहिये और इसके बदले में गृह-व्यवस्था, शिक्षा और चिकित्सा सम्बन्धी अन्य सुविधायें प्रदान करना चाहिये।

जैसा श्री टेक चन्द ने कहा कि पदाधिकारियों में एक ऐसी भावना व्याप्त है कि जब एक पदाधिकारी अपने वेतन का कुछ भाग छोड़ देने में समर्थ है और वह उसे छोड़ देता है तो दूसरे पदाधिकारी कठिन स्थिति में हो जाते हैं। दूसरा व्यक्ति कठिन परिस्थिति में होने पर भी अपने वेतन का एक भाग छोड़ देता है। अतः सम्पूर्ण विषय का प्रभाव देश भक्ति, कुशलता और कार्यगत स्फूर्ति पर पड़ता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति देश में समाजवादी राज्य की रचना में रुचि रखता है तो उसे वेतन का भाग छोड़ देने की अनुमति है और उसे आयकर की दिशा में लाभ मिलेगा।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पूर्व) : माननीय मित्र श्री नम्बियार और श्री के० के० बसु के साथ साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

इस विधेयक में एक दिन का भी विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि वेतन का भाग लेकर कतिपय पदाधिकारियों को आयकर से मुक्त होने की स्थिति में लाने की हमें आवश्यकता है। लेकिन वास्तविक प्रश्न वेतन का एक भाग छोड़ने से नहीं लेकिन उसमें एक दम कमी कर देने से सम्बन्धित हैं।

श्री वेलायुधन : उनके वेतन में कटौती कर दीजिये।

श्री साधन गुप्त : मेरे मित्र के कथनानुसार उन के वेतन में कटौती होना चाहिये। हमारा देश निर्धन है। हमें इसकी ओर करदाता की दृष्टि से देखना चाहिये। हमें जनसाधारण के दृष्टिकोण से इस पर विचार

[श्री साधन गुप्त]

करना है। हमें उन निम्नवेतन भोगी कर्मचारियों और निजी उद्योगों की ओर से इन पर विचार करना है जिन्हें दोनों जून पेट भरने योग्य वेतन भी नहीं मिलता है। वर्तमान परिस्थितियों में इसके लिये कोई नैतिक औचित्य नहीं है किंवा यों कहा जाय कि यह सर्वथा अनैतिक है कि हमारे देश की जन-साधारण की आय का अधिकांश भाग इन व्यक्तियों को दिया जाय। जब राष्ट्रपति से लेकर समस्त उच्च वेतन प्राप्त पदाधिकारी अपने वेतनों में कटौती करते हैं तो यह असंदिग्ध है कि उनका जीवन कुछ कष्टमय हो जायेगा लेकिन कटौती से केवल उनके विलास की कुर्बानी होगी, उनके आराम पर इसका कोई प्रभाव न पड़ेगा। प्रत्येक उच्च वेतन प्राप्त पदाधिकारी को इस तरह का आदर्श स्थापित करना चाहिये ताकि थोड़ा वेतन पाने वाले उन के भाइयों का जीवन सुखद बन सके। जब महात्मा गांधी ने मंत्रियों का वेतन ५०० रुपये निर्धारित किया था उस समय परिस्थितियां भिन्न थीं। अब निर्वाह व्यय में पर्याप्त वृद्धि हो गई है तो वेतन १,००० रु० कर दिया जाय। प्रश्न यह है कि यह २,५०० रु० अथवा ३,००० रु० अथवा इससे भी अधिक क्यों हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश में व्यक्ति को अधिकतम वेतन ५०० रु० मिलना चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मंत्री का वेतन १,००० रु० है।

श्री साधन गुप्त : शुद्धि के लिये मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव का आभारी हूं। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि कीमतें चार गुना बढ़ गई हैं। यदि देशवासी चार गुना बढ़ गये हैं तो क्या हम यह कह सकते हैं कि वेतन ४,००० रु० मासिक तक बढ़ जाना चाहिये? क्या महात्मा गांधी के उपदेश के अनुरूप कार्य करने का हमारा उत्तरदायित्व नहीं है।

एक अन्य बात मैं सदन के समक्ष कहना चाहता हूं। वेतन का एक भाग छोड़ कर कर्मचारियों को आय कर से बचाना अच्छा है लेकिन हमें इससे भी रक्षा करना चाहिये कि किन्हीं अवस्थाओं में वेतन का क्षुद्र भाग छोड़ देने पर कहीं कर्मचारी अधिक आय कर से तो मुक्त नहीं हो रहा है। यदि वेतन के भाग छोड़ देने के आधार पर प्रतिष्ठा का अर्जन करना है अथवा देशभक्ति का यश उपार्जन करना है तो इसमें लाभ उठाने की नियत नहीं होनी चाहिये। उन्हें अवांछनीय प्रतिष्ठा का दावेदार नहीं बनने देना चाहिये। इस तरह की प्रतिष्ठा प्राप्त करने के समाज में अनेक मार्ग हैं हमें उनके बारे में चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें यह देखना है कि यह व्यक्ति कहीं राज्य कोष को छोड़ी गई रकम से अधिक रकम को हानि में न रख दें।

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया) उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है, वह तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि उसका मतलब क्या है? यह जो बड़े आदमी हैं जिनको वी० आई० पी० कहा जाता है ये लोग खाली अपने वास्ते यह कट डालना चाहते हैं या यह कट हमेशा के वास्ते आफ़िसस पर रहेगा, यह मुझे थोड़ा मिनिस्टर साहब बता देंगे तो अच्छा होगा।

श्री अलगूराय शास्त्री (ज़िला आजमगढ़--पूर्व व ज़िला बलिया---पश्चिम) : मिनिस्टर साहब को कुछ अभी खयाल नहीं है।

श्री ए०सी० गुहा : यह कटौती स्वेच्छापूर्वक तथा वैयक्तिक है।

आचार्य कृपालानी: पर्सनल है, इसका तो मतलब यह हुआ कि उनकी जगह दूसरे आ जायेंगे तो फिर वह उतनी ही तनख्वाह ले लेंगे।

श्री ए० सी० गुहा : वह भी छोड़ सकते हैं।

आचार्य कृपालानी : इसका मतलब है कि हमारे प्रेसीडेंट साहब को बीस हज़ार मिलता था, उसमें फिर वालियंटेरी कट करके दस हज़ार किया .....

श्री ए० सी० गुहा : संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का वेतन १०,००० रु० मासिक निश्चित किया गया है।

आचार्य कृपालानी : अच्छा ठीक है, दस हज़ार मासिक था, फिर अभी अगर वह वालियंटेरी कट करके अपना मासिक पांच हज़ार कर लेते हैं तो क्या अगर उनकी जगह पर कोई दूसरा हमारा प्रेसीडेंट आये तो वह दस हज़ार ले सकता है ?

श्री अलगू राय शास्त्री : जी हां।

आचार्य कृपलानी : यह तो बड़ी अजीब बात है। इससे तो अच्छा है कि यह आदमियों को जो लेते हैं, वही लेते रहें।

इस में देश को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोगों को और हम लोगों को ठीक काम करना है तो फिर यह जो तनख्वाहें हैं उनको हमें कम करना चाहिये और हम करेंगे तो फिर अफ़सर लोगों को भी कुछ शर्म आयेगी। पहले ही पहल जब हमने काम शुरू किया था तभी हम लोग कहते लोगों से कि महंगाई हो गई है इसलिये पांच सौ तो नहीं लेकिन दो हज़ार से ज्यादा किसी को भी हिन्दुस्तान में नहीं मिलेगा, तो मुझे निश्चय है कि हमारे जो अफ़सरान लोग हैं वह भी इसको कबूल कर लेते। फारसी में कहते हैं कि बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिये। पहले दिन तो उसको मारा नहीं और यह आशा हम लोगों से की जाती थी क्योंकि हम लोग जब सरकार में नहीं आये थे उस वक्त हम किस तरह से रहते थे ? सरकार में आने से किस तरह रह रहे हैं अगर इसका मुकाबिला किया जाय तो ऐसा देखने में आता है कि कोई आदमी तो एक दम से साहूकार हो गया लेकिन उसको साहूकारी से रहना नहीं आता है। उसको हम अंग्रेजी में "न्यूली रिच" (नया धनी) कहते हैं। यानी कभी देखा ही नहीं था, खान्दानी नहीं था। ऐसे ही ब्लैक मार्केट वगैरह से आ गया। उसको रहना नहीं आता हैं फिर भी जो खान्दानी होता है वह उस का अनुकरण करने लगता है तो बड़ा अजीब सा जानवर लगता है और बहुत हंसी की बात होती है। तो मैं आप से कहता हूं कि बहुत से आदमी हम लोगों को आज देखते हैं और उन में से हमारे परमानेंट आफिशल्स भी हैं वह भी कहते हैं कि देखो, यह लोग कैसे रहते थे और आज उन के दिमाग को क्या हो गया है ? उन के ऊपर इसका बहुत खराब असर पड़ता है। यानी मिनिस्टरों के बारे में, या बड़े बड़े ,लीडरों के बारे में वह ऐसा आक्षेप करते हैं कि देखो भाई, यह लोग कैसे रहते थे, आज इन का दिमाग बदल गया है। इसलिये अगर इन लोगों के वास्ते परमानेंट सर्विसेज की कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिये। उन्होंने हमेशा चार हज़ार रुपया कमाया और मजबूती में रहते थे। बहुत से ऐसा कहते हैं कि यह नये आदमी कहां से आ गये जो हमारे साथ मुकाबिला करते ह, इनको रहना तो आता ही नहीं है। यह तो बेचारे २५, ३०, या ५० ० में रहने वाले थे, इनको अब मौका मिल गया है। इसका भी बहुत खराब असर होता है। हम लोग जो करेंगे, लीडर्स जो करेंगे उसी की देखा देखी दूसरे भी करेंगे। सी वजह से महात्मा ने कहा था कि सिर्फ पांच सौ रुपया तनख्वाह रखी जाय। अब कहा जाता है कि पांच सौ तो उन दिनों के लिये थे, आज कल तो प्राइसेज बढ़ गई हैं। प्राइसेज बढ़

[आचार्य कृपालानी]

गई हैं तो क्या खाली हम लोगों के लिये, या बड़े लोगों के लिये बढ़ गई हैं या छोटे आदमियों के लिये भी बढ़ गई हैं? मैं तो समझता हूं कि जिन लोगों को छोटी तनख्वाह मिलती है उनके वास्ते प्राइसेज बहुत बढ़ गई हैं क्यों कि उन की इनकम का ज्यादातर हिस्सा जो लाइफ की जरूरतें हैं उन्हीं में खर्च हो जाता है, और वह बहुत मंहगी हो गई हैं इसलिये उनको ज्यादा नुकसान होता है।

आखिरकार जो हमारे देश में क्लर्क हैं या टीचर्स हैं, हमने देखा है कि जो टीचर्स हमारे बच्चों के गुरु हैं, उन गुरुओं को जो तनख्वाह मिलती है वह चपरासियों की तनख्वाह से भी कम है, और उनको सफेद पोश भी रहना पड़ता है। अगर वह टीचर्स हैं तो उनको पढ़ना भी पड़ता है, अखबार भी पढ़ना पड़ता है और जिनका ऐसा हाल है ऐसे आदमियों से आप वालेंटरी कट न करायें तो आपकी मेहरबानी है। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे प्रेजिडेंट साहब, हमारे स्पीकर साहब कहते कि एक कन्सालिडेटेड बिल आना चाहिये जिस में इन वी० आई० पीज० की सैलेरीज को देखा जाय और कम किया जाय, तो इसका जनता के ऊपर बड़ा असर पड़ता। अगर कांग्रेस पार्टी अपने हित को भी देखती और ऐसा करती तो इसका बाहर के आदमियों पर इतना असर होता कि यह जो फिजूल प्रोपेगैन्डा कांग्रेस को बढ़ाने के वास्ते हो रहा है, उसकी भी जरूरत न पड़ती। आदमी कहते कि यह लोग बेचारे ऐसे भले आदमी हैं कि बहुत छोटी तनख्वाह लेते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर यह बात भी है कि छोटी तनख्वाह वालों या मजदूरों में और बड़ी से बड़ी तनख्वाह वालों में, या बड़ी से बड़ी जो इनकम है उसमें बहुत फर्क है। ऐसा किसी मुल्क में भी नहीं। यह फर्क यहां पर करीब २०० दफा पड़ जाता है। अगर ५० रुपये एक मजदूर को मिलते हैं, या एक क्लर्क को मिलते हैं तो हमारे प्रेजिडेंट साहब को दस हजार रु० मिलते हैं। तो २०० गुना हुआ न? महात्मा ने एक दफा एक छोटी तनख्वाह पाने वाले में और एक बड़ी तनख्वा पाने वाले में २०० गुने का फर्क निकाल कर जो हमारे वाइसराय थे उनको दिखलाया था। इससे वाइसराय को बड़ा गुस्सा आया। लेकिन यह फर्क अभी तक है। इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आता है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि हमारा स्वराज्य स्वराज्य नहीं, खाली ढकोसला है। यह देखने में आता है कि उसमें कोई भी अदला बदली नहीं हुई है। हमारे लेबर मिनिस्टर कहते हैं कि जो लोएस्ट सैलरी होगी, जो लोएस्ट इनकम होगी वह १ रु० २ आ० रहेगी। उसके लिये भी कहते हैं कि वह देहात में नहीं हो सकती। मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम इनकम १ रु० २ आ० नहीं होनी चाहिये। कम से कम इनकम एक आदमी की २०० रुपया महीने में होनी चाहिये। इसके साथ जो बड़ी से बड़ी इनकम हो वह २,००० रुपये तक होनी चाहिये। हमारे सर्विसेज के आदमी कहते हैं कि देखो डाक्टरों को, उनको कितनी फीस मिलती है, वकीलों को कितनी फीस मिलती है और इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को कितनी आमदनी होती है। मैं कहता हूं कि जब हम पब्लिक सर्विसेज को और अपने लीडरों को रेगुलेट कर देंगे तो उन लोगों को भी रेगुलेट करने में बड़ी आसानी होगी। वह लोग हमारी ही मिसाल लेकर के अपनी फीस बढ़ाते हैं, वकील बढ़ाते हैं, डाक्टर बढ़ाते हैं, अगर हम लोग यह करेंगे तो हम लोग उन के ऊपर भी जोर और दबाव डाल कर उनकी फीस और उनकी कमाई को भी कम कर सकते हैं। देश में किसी की भी कमाई किसी आदमी से २० गुने से ज्यादा न

हो । अगर एक आदमी को एक रुपया मिलता है तो उसके भाई को, जो उतना ही काम करता है, शायद वह दिमागी काम करता हो, वह मजदूरी से ज्यादा आसान है, बीस गुने तक मिले, इससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिये । मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा हमको कभी नहीं जाना चाहिये । साथ में यह भी मैं कह सकता हूं कि आप करें चाहे न करें, यहां सर्कमस्टान्सेज ऐसे होंगे कि आपको झख मार कर करना होगा। और आहिस्ता आहिस्ता झख मार आप लोग ऐसा करते भी जाते हैं । यह जो सर्कमस्टान्सेज आज कल करार दिये जाते हैं जिसमें आप को भी फायदा न मिले और देश को भी फायदा न मिले तो यह कोई अच्छी बात नहीं है ।

यह जो टूटा फूटा बिल आपने रखा है, वह ठीक है । उसमें जैसा मेरे भाई ने कहा कि कोई आदमी अगर एक स्लैब से दूसरे स्लैब में जाय, और डिक्लेअर कर दे कि मैंने २,००० रुपया दे दिया जब कि दिया उसने खाली २०० रु०, यह हो सकता है । लेकिन इसकी दवा कैसे हो सकती है ? ऐसे आदमी दिखलाते हैं कि हम लोग तो बहुत उदार दिल के हैं, लेकिन अगर अन लिसिस की जाती है तो मालूम होता है कि वह लोग बहुत तंग दिल के आदमी हैं। २०० रु० देते हैं और दिखलाते हैं २,००० रु० ।

बस मुझे इतना ही कहना है ।

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान् मुझे यह आशा नहीं थी कि प्रस्तुत विधेयक पर इतनी लम्बी चर्चा होगी । इस विधेयक की आड़ में सामाजिक और आर्थिक विषयों पर चर्चा करने की श्री नम्बियार और श्री बसु की बात तो मैं समझ गया हूं लेकिन श्री शर्मा की कुछ बातें सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । उनका विचार है कि प्रस्तुत विधेयक अथवा व्यवस्था वेतन में कटौती कराने के अनिच्छुक व्यक्तियों के लिये अनिवार्य रूप से लादी गई कार्यवाही होगी । समाज में प्रत्येक सदस्य के लिये शिष्टाचार होता है, सामाजिक परम्परा होती है और दूसरों के अच्छे कार्यों के अनुकरण की इच्छा एवं वृत्ति होती है ।

श्री टेक चन्द ने कहा कि कुछ व्यक्ति पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपने वेतन में कटौती कराने की दशा में नहीं हैं और यह उन पर एक प्रकार की अनिवार्यता ही होगी । यह उनकी अपनी अनुमति है ।

आचार्य कृपालानी ने अनेक बातें कहीं हैं । वैसे तो आचार्य जी सदा ठीक बातें कहते हैं लेकिन हम जिस विषय के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं वहां आचार्य जी के अधिकांश विचार सही नहीं हैं ।

श्री साधन गुप्त ने पश्चिमी बंगाल के एक उपमंत्री द्वारा अपने वेतन में से १,५०० रु० छोड़ने की बात का उल्लेख किया । मैं नहीं समझता कि उनका (उपमंत्री का) मंतव्य मासिक वेतन से था या अथवा वेतन की पूर्ण रकम से था । जहां तक मुझे जानकारी है बंगाल में मंत्री का वेतन १,००० रु० अथवा उससे भी कम है ।

जहां तक श्री नम्बियार और श्री बसु के विचारों का सम्बन्ध है मेरा विचार है कि मैं उन्हें आई० ए० एस० पदाधिकारियों के वर्तमान वेतन स्तर से परिचित करा दूं । मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि आई० सी० एस० पदाधिकारियों के लिये निर्धारित वेतन बहुत अधिक है और हमारे देशवासियों के सामान्य स्तर से उसका कोई मेल नहीं है । लेकिन मेरा विश्वास है उन्हें यह मालूम नहीं है कि भारतीय प्रशासन सेवा में वर्तमान में जो व्यक्ति लिये गये हैं उनका वेतन बहुत कम है । उनका वेतन ३५० रु० से १,८०० रु० निश्चित किया गया है । साधारण अवस्था में यह उनका अधिकतम वेतन है । यदि वह किसी विशेष संवर्ग में ले लिये गये तो

[श्री ए० सी० गुहा]

उनका वेतन ३,००० रु० तक बढ़ जायगा और आई० सी० एस० से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के सचिवों की भांति उन्हें ४,००० रु० वेतन नहीं मिलेगा। फिर उनके वेतन पर आय कर लगेगा। इस तरह ६९७ रु० आय कर के कट कर केवल २,३०० रु० बचेंगे। मैं यह भी कह दूं कि टेकनीकल पदों के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा दिये जाने वाले वेतन पर समुचित व्यक्ति नहीं आते हैं और दो तीन बार विज्ञापन निकालने पड़ते हैं। इस पर भी वह नहीं आते हैं क्योंकि निजी व्यवसाय अथवा निजी धन्धों में उन्हें अधिक लाभ दीख पड़ता है।

किसी भी सदस्य ने विधेयक का विरोध नहीं किया है और मुझे आशा है कि वह पारित कर दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण विमुक्ति) अधिनियम, १९५० में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंडों के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है, अतः मैं नाम तथा अधिनियमन सूत्र के समेत सभी खंडों को मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा।

श्री एस० एस० मोरे : मैं जानना चाहता हूं कि यदि संसद् सदस्य वेतन प्राप्त किया करेंगे तो उन्हें यह रियायत क्यों न मिलेगी ?

श्री ए० सी० गुहा : इस समय वह दैनिक भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तथा इस पर उन्हें कोई आय कर नहीं लगता है। परन्तु यह बात स्पष्ट है कि संसद् सदस्यों के वेतन, जब कभी भी वह निश्चित किये जायेंगे, केन्द्रीय विधान मंडल के एक अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित किये जायेंगे, अतः वह स्वतः ही इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत आ जायेंगे।

खंड १ तथा २ विधेयक में जोड़ दिये गये।

नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री ए० सी गुहा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक पास किया जाये।"

श्री नम्बियार : गत कुछेक वर्षों में इससे कितनी धन राशि बचाई जा सकी है ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे पास यह आंकड़े नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम असरकारी सदस्यों के विधेयकों को लेते हैं।

बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक

(धारा १७ का संशोधन)

श्री रघुनाथ सिंह (ज़िला बनारस--मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय, अधिनियम, १९१५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एस० वी० रामास्वामी यहां नहीं हैं। श्रीमती मणिबेन पटेल।

अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक

श्रीमती मणिबेन पटेल (कैरा--दक्षिण): मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

> "स्त्रियों के अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन से सम्बन्धित विधि का उपबन्ध तथा एकीकरण करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्रीमती मणिबेन पटेल: उपाध्यक्ष जी, यह बिल ऐसा है कि जिसमें कोई ज्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। इसकी आवश्यकता मैं मानती हूं कि सब लोग महसूस करते हैं। कुछ स्टेटों में इस सम्बन्ध में क़ानून मौजूद भी हैं, परन्तु यह उचित होगा कि सारे देश भर के लिये अगर एक सेंट्रल लेजिसलेशन हो जाय, देश के लिये एक यूनीफार्म क़ानून हो जाय तो इस पर अमल करने में भी काफ़ी आसानी होगी। हम जानते हैं और हमने अक्सर देखा है कि लोगों ने इस प्रकार का एक धन्धा बना रखा है कि वह बेचारी लड़कियों को उठा कर ले जाते हैं और उनको ब्राथल्स में ले जा कर पैसा बनाते हैं। इसलिये अगर इस प्रकार का एक क़ानून बन जाये तो हमारे देश और समाज में जो आज एक नैतिक अधःपतन हो रहा है उसको रोकने में हम समर्थ हो सकते हैं। पार्टीशन के बाद तो ये बुराई और भी काफी बढ़ गई है, क्योंकि काफी लोग बेचारे अपने घरों से निकाले गये हैं और उनके रहने का कोई ठीक प्रबन्ध न होने के कारण माता एक जगह बसी है, स्त्री दूसरी जगह है और पति कहीं तीसरी जगह पर रह रहा है। इसके अलावा लोगों की आर्थिक हालत भी काफी बिगड़ी हुई है, इस कारण कई लोगों ने इसका भी फ़ायदा उठाया है और बंगाल प्रान्त में कलकत्ते में तो अभी यह भी देखने में आया है कि वहां पर समाज क्लीनिक्स का धंधा लोगों ने कर रखा है, अभी अप्रैल के महीने के मौडर्न रेव्यू में यह खबर आई है कि यह काम वहां पर इतने जोरों से चल रहा है कि वहां की स्टेट असेम्बली इसको रोकने के लिये सरकार को जितनी अधिकार सत्ता चाहिये वह देने के लिये राज़ी हो गई है और विधान के अनुसार भी मैं समझती हूं कि हमको इस तरह का अधिकारपूर्ण क़ानून बनाने में कोई अड़चन और संकोच नहीं होना चाहिये। मैं आशा करती हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी और हमारा जो यह बिल है उसको जल्द से जल्द स्वीकार करेगी क्योंकि मैं समझती हूं कि क़ानून बनाने से हमको लाभ ही है, इसलिये मैं यह बिल आपके सामने पेश करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा ऊपर उल्लिखित प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया।

श्रीमती जयश्री (बम्बई--उपनगर): श्रीमान् मैं श्रीमती मणिबेन पटेल द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक का पूर्णतः समर्थन करती हूं। हमें मालूम है कि वैश्यावृत्ति तथा अनैतिक पण्य के दमन के सम्बन्ध में १९५० में लेक सकसेस में जो अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय हुआ है भारत उसका एक हस्ताक्षरकर्ता है। इस अभिसमय का अनुमोदन करने के लिये जुलाई, १९५१ में सदन में सरकार की ओर से एक संकल्प पेश हुआ था तथा हमें पंचवर्षीय योजना से पता चलता है कि इस संकल्प का सरकार ने अनुसमर्थन किया है। इस अभिसमय का अनुच्छेद १ तथा २ जहां अनैतिक पण्य तथा वेश्यावृत्ति में संलग्न अथवा किसी तरह भी सम्बन्धित व्यक्तियों के दंड का उपबन्ध करते हैं, वहां अनुच्छेद २७ इस सम्बन्ध में हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा आवश्यक क़ानून पास करने की भी जिम्मेदारी लेता है। इसी बात के आधार पर हमने, विशेषकर महिला सदस्यों ने, सोचा कि यदि हम यह विधेयक प्रस्तुत करेंगे तो इस मामले में सरकार के हाथ और भी मजबूत हो जायेंगे। हमें पता चला है कि सरकार भी इस सम्बन्ध

[श्रीमति जयश्री]

में कार्यवाही करने का विचार रखती है तथा उन्होंने राज्य सरकारों से राय पूछी है। कुछ राज्यों में इस सम्बन्ध में क़ानून तो पहले ही मौजूद है। परन्तु अन्तर्राज्य गिरोहों की करतूतो को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार एक क़ानून बनावे जो कि सभी राज्यों पर लागू हो।

नैतिक तथा सामाजिक स्वच्छता से संबन्धित रिपोर्ट में कहा गया है कि इस काम में विभिन्न राज्यों को कुछ क़ानूनी मुश्किलें भी पेश आई हैं। उन्होंने एक आदर्श अधिनियम का प्रारूप तैयार करके इसे सरकार के पास भेज दिया है, किन्तु सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नगर-विधि तथा राज्य विधि इस मामले में परस्पर विरोधी है, क्योंकि नगर विधि के अन्तर्गत इनको नगर की आबादी से अलग रखा जा सकता है तथा वेश्यागृहों को चलने दिया जा सकता है।

वेश्यागृहों को मान्यता प्रदान करने के विषय पर लीग आफ नेशन्ज़ ने १९३८ में विचार किया था तथा इसकी राय यह थी कि यद्यपि यह देशों का एक अन्दरूनी मामला है, फिर भी इससे अन्तर्राष्ट्रीय अनैतिक पण्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विश्व के किसी भाग में इसे मान्यता प्रदान करने से इसे कहीं न कहीं ठिकाना मिल ही जाता है।

११ म० पू०

इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वेश्यागृह किस तरह से स्त्रियों के अन्तर्राष्ट्रीय पण्य को प्रोत्साहन देते हैं तथा इसका सबसे अधिक प्रभावी इलाज यह बताया गया है कि आज्ञप्त अथवा मान्यता प्राप्त वेश्यागृहों को बन्द किया जाय।

१९५२ में दिल्ली में महिलाओं की एक सभा में यह मांग की गई थी कि अन्तर्राज्य गिरोहों की गति विधियों को ध्यान में रखते हुये तथा राज्य सरकारों द्वारा पास किये गये कानूनों की त्रुटियों को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय आधार पर एक कानून बनाये तथा उसकी कार्यान्विति को सुनिश्चित करे। उन्होंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्नावलि परिचालित भी की थी तथा कुछेक राज्य सरकारों ने उस प्रश्नावलि का उत्तर भी दिया है। इस प्रश्नावलि तथा उपलब्धियों के आधार पर मैं सरकार से प्रार्थना करूंगी कि वह इस मामले में कार्यवाही करे तथा विभिन्न राज्य सरकारों से यह पता लगाने की कोशिश करे कि इस अधिनियम का कार्य संचालन कैसे हो रहा है तथा इसके प्रवर्तन में कठिनाइयां क्या हैं।

इस विधेयक का समर्थन करते हुये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगी कि वह उन महिलाओं को पुनःस्थापित करने के लिये कोई व्यवस्था करे जिनका कि उद्धार किया गया है। हमारे देश में इसके लिये काफी सदन नही हैं। इस सम्बन्ध में सरकार को उन प्राइवट संस्थाओं की सहायता करनी चाहिये जो कि इस दिशा में पहले से ही कुछ काम कर रही हैं। मुझे बताया गया है कि बम्बई में बहुत से महिला उद्धार सदन हैं परन्तु इसके साथ ही मुझे यह भी बताया गया कि वहां लगभग ६००० वेश्यागृह हैं। उद्धार की गई लड़कियों के लिये हमारे पास सदन होने चाहियें।

देश में कुछ विधवा-सदन तथा शिशु-सदन ऐसे भी हैं जो कि अनैतिक पण्य में सहायता दे देते हैं। ऐसे सदनों पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगी कि वह इस सम्बन्ध में कोई विधान पास करे जिससे कि यह झूठे सदन इस व्यभिचार में सहायता न देने पायें।

मेरे विचार में केवल तीन तरीकों से इस बुराई का दमन किया जा सकता है जो कि

यह हैं :— (१) पर्याप्त कानूनी व्यवस्था, (२) कानून को लागू करने के लिये उचित शासकीय व्यवस्था तथा (३) ज्ञानोद्दीपित लोकमत जो कि अपनी जिम्मेदारियों को समझता हो ।

वर्तमान दुर्दशा के लिये हमारे समाज में स्त्रियों का वर्तमान दर्जा भी ज़िम्मेदार है । जब तक कि हम उनका दर्जा न बढ़ावें जब तक यह बुराई दूर नहीं हो सकती ह । स्त्रियां गरीबी के कारण वेश्यावृत्ति धारण करने के लिये मजबूर हो जाती हैं । पहले तो विधवाओं को संयुक्त परिवारों में आश्रय मिलता था । अब वह संयुक्त परिवार भी टूट रहे हैं । स्त्रियों की हालत सुधारने के लिये इस सदन के समक्ष कुछ विधान हैं । मैं सभी भाइयों से अपील करती हूं कि वह उन्हें पास करवाने में अपना सहयोग दें ।

वेश्यावृत्ति में वृद्धि का कारण बड़े बड़े नगरों का बढ़ जाना भी है । बम्बई जैसे नगर में बहुत से लोग काम काज के लिये देहात से आते हैं, वह अपने परिवार देहात में ही छोड़ आते हैं और शहरों में फिर वेश्याओं की शरण लेते हैं । बड़े बड़े कारखानों में जो स्त्रियां काम करती हैं वह भी इस तरह का जीवन बिताती हैं ।

और भी एक बात है। कभी कभी स्त्रियां बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर पहुंच जाती हैं तथा उन्हें मालूम नहीं होता है कि उन्हें कहां जाना है। बिचवई लोग इनकी अनजानी से फायदा उठाने का प्रयत्न करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हू कि बड़े बड़े स्टेशनों पर तथा मेलों तथा धार्मिक उत्सवों पर इनकी सहायता के लिये महिला पथ प्रदर्शक नियुक्त किये जाने चाहियें ।

यदि सरकार इन सभी कारणों पर ध्यान देगी तो मुझे आशा है कि हम इस बुराई को खत्म कर सकेंगे । सोवियत रूस इस बुराई को समाप्त करने में सफल हो सका है । हम भी ऐसा कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : लोक मत जानने के निमित्त इस विधेयक को परिचालित करने के सम्बन्ध में श्री वल्लाथरास तथा श्री डी० सी० शर्मा के दो संशोधन हैं। मैं इनकी ओर निर्देश न कर सका। वह अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस विधेयक को ३१ अगस्त, १९५४ तक लोक मत जानने के लिये परिचालित किया जाय ।"

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस विधेयक को २९ अगस्त, १९५४ तक लोक मत जानने के लिये परिचालित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय के प्रति सरकार का रवैया क्या है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : क्या आप वादविवाद समाप्त तो नहीं कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं ।

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मुझे सदन को यह सूचित करते हुये प्रसन्नता होती है कि भारत सरकार इस विधेयक के सिद्धान्तों से सहानुभूति रखती है । उसे विदित है कि यह विधेयक जिस बुराई को नष्ट करना चाहता है, वह बहुत बड़ी बुराई है । दिल्ली में और अन्य स्थानों में मैंने देखा है कि अपरिपक्व आयु वाली बहुत सी लड़कियां पड़ोसी जिलों विशेषतः पहाड़ी जिलों से फुसला कर यहां लाई जाती हैं और उनको लज्जापूर्ण जीवन बिताने के लिये लाचार किया जाता है । सदन को यह भी विदित है कि कुछ

[श्री दातार]

महीने पहले भारत सरकार ने दिल्ली राज्य के सहयोग से इन बदनाम मकानों की तलाशी लेकर बहुत सी लड़कियों को निकाला था। और उनमें से बहुतों को तथाकथित निर्धन गृहों में रखा गया है और उनके नैतिक पुनर्वास के लिये पूरी व्यवस्था की जा रही है। भारत सरकार अन्य लड़कियों को निकालने के लिये भी यथासंभव प्रयत्न कर रही है, जिससे यदि इस अमानुषिक अपराध का समूल उच्छेद न हो सके, तो उसे नियंत्रित तो किया ही जा सके।

जहां तक प्रस्तुत विधेयक का सम्बन्ध है, सरकार इस दिशा में बहुत से पग उठा रही है। गत वर्ष भारतीय नैतिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य संघ ने सरकार के विचारार्थ एक आदर्श विधेयक की प्रति भेजी थी। उसमें बहुत से अत्यंत सुन्दर सिद्धान्त रखे गये हैं। अतः इस संघ से यह अभ्यावेदन प्राप्त करने के बाद तुरन्त ही हमने उस पर विचार किया और हमें पता चला कि यद्यपि यह राज्य का विषय है तथापि इस सम्बन्ध में एक एकरूप विधि बनाना अच्छा होगा, पर वह राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद ही संभव हो सकेगा। तत्पश्चात् बहुत सी महिला सदस्यों ने मेरे पास आकर इस विषय पर मुझे अपने अभ्यावेदन दिये। तुरन्त ही सरकार ने कार्यवाही की और कई बातों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को लिखा कि क्या विद्यमान विधान पर्याप्त है अथवा वे इस सम्बन्ध में एक विशद अखिल भारतीय विधान पसन्द करेंगी। उनसे यह भी कहा गया कि भारत सरकार मानव-पणन तथा वेश्यावृति के लिये दूसरों के शोषण को रोकने से सम्बन्धित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय की समर्थक रही है और बाद में १९५२ में उसने ऐसे एक अभिसमय पर हस्ताक्षर भी किये हैं तथा उसके द्वारा उसका पुष्टिकरण भी किया जा चुका है। अतः अनुच्छेद २५३ के अधीन भारत सरकार ऐसे समझौतों या अभिसमयों के प्रवर्तन के लिये विधि बना सकती है, जिसमें उसने भाग लिया हो। प्रारूप विधेयक के साथ भेजे गये इस सविवरण पत्र के बाद हमें कुछ राज्यों से उत्तर मिले हैं, और पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मध्य भारत, मद्रास और पंजाब आदि राज्यों से अभी उत्तर की प्रतीक्षा है। अब तक इस प्रस्ताव पर इन राज्यों की प्रतिक्रिया का पता नहीं चला है, अतः सरकार को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

पर फिर भी सरकार ने प्रयोगात्मक निर्णय कर लिया है। अन्य राज्यों से सरकार को मिलने वाले भारी समर्थन की दृष्टि में यह आशा है कि ये राज्य भी सहमत हो जायेंगे, और केन्द्रीय सरकार को विभिन्न विषयों को निपटाने वाला एक ऐसा केन्द्रीय विधान बनाने देंगे, जो विधि के सम्यक परिवर्तन के लिये आवश्यक हो।

हमारे पास एक विधेयक है, जो विचारार्थ रखा गया है। एक अन्य विधेयक भी है, जो दूसरे सदन में श्रीमती सीता परमानन्द द्वारा रखा गया है, और वह भी इसी प्रकार का है। ये दोनों विधेयक निजी सदस्यों के विधेयक हैं, अतः कुछ आपत्तियों और कठिनाइयों को ध्यान में रखना पड़ेगा।

पहले तो यह संसद् केवल अनुच्छेद २५३ के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के प्रवर्तन के लिये विधान बना सकती है, पर इन दोनों विधेयकों में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के निबंधनों का उल्लंघन कर जाते हैं। वे आवश्यक हैं, परन्तु अनुच्छेद २५३ की दृष्टि में उनको वैसा नहीं माना जा सकता।

जहां तक इन दो विधेयकों का सम्बन्ध है, कुछ वित्तीय आलेपन भी हैं। दोनों ही विधेयकों में बताया गया है कि एक शरणागार

स्थापित किया जाय, कुछ कार्यवाहियों को दंड्य माना जाये और इस प्रकार के तथा अन्य अपराधों की जांच के लिये न्यायाधिकरण बनाया जाये। इन सभी उपबन्धों के लिये अनुच्छेद ११७(३) के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश नितान्त आवश्यक है, क्योंकि इसमें वित्तीय आलेपन हैं। उसमें बताया गया है कि :

"जिस विधेयक के अधिनियमित किये जाने और प्रवर्तन में लाये जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक संसद् के किसी सदन द्वारा तब तक पारित न किया जायेगा, जब तक कि ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिये उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश न की हो।"

सदन के सामने जो विधेयक है, उसके विषय में प्रस्तावक ने राष्ट्रपति से सिफारिश नहीं मांगी है। जब तक ऐसी सिफारिश न मिले, यह सदन ऐसे विधान को पारित या अधिनियमित नहीं कर सकता।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के प्रवर्तन का प्रश्न है, यह बात सरकार द्वारा ही उठाई जा सकती है, और जैसा मैंने सदन को बताया है सरकार इस बुराई की विशालता से और जहां तक मानवता के विरुद्ध इस महान अपराध का सम्बन्ध है, एक केन्द्रीय विधान बनाने की आवश्यकता से सुपरिचित है। अतः मैं सदन को आश्वासन दूंगा कि जैसे ही अब तक अप्राप्त विचार प्राप्त हुये, हम उन सब विचारों और दोनों सदनों के समक्ष रखे गये इन दोनों विधेयकों पर विचार करेंगे, और इन सब बातों पर विचार करने के बाद इस विषय के सभी पहलुओं पर विचार करते हुये सरकार एक विधेयक इस सदन के सामने रखेगी।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलुरु) : इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री दातार : मैं ठीक ठीक कह नहीं सकता कि विचार कब तक प्राप्त होंगे। पर जहां तक इस विषय का प्रश्न है, सरकार बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। पर हमें राज्यों के उत्तरों पर निर्भर रहना पड़ता है, और अभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण राज्यों ने उत्तर नहीं दिया है। अतः हम सदन के सामने एक ऐसा विस्तृत विधेयक रखगे, जिसमें ये सब बातें ली जायेंगी जो माननीय सदस्य लेना चाहते हैं। इस आश्वासन के साथ .....

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह (ज़िला गढ़वाल--पश्चिम व ज़िला टेहरी गढ़वाल व ज़िला बिजनौर उत्तर) : यदि हम अन्य राज्यों के लिये नहीं बना सकते तो क्या हम भाग ग राज्यों के लिये भी एक अधिनियम नहीं बना सकते ?

श्री दातार : संसद् भाग ग राज्यों के लिये विधान बना सकती है, फिर भी भले ही वैधता की दृष्टि से आवश्यक न हो, पर उन राज्यों में भी विधान सभायें हैं और उनसे भी परामर्श कर लेना अच्छा रहेगा। अतः हम चाहते हैं कि केवल भाग ग राज्यों के ही लिये विधेयक न बनायें, बल्कि यदि सब राज्य सहमत हो जायें, तो सभी राज्यों के समेत पूरे भारत के लिये एक विधान बनायें। इससे विधि एकरूप रहेगी और सभी राज्यों के लिये उपयोगी रहेगी। इस आश्वासन के साथ मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपना विधेयक वापिस ले लें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : श्रीमान्, माननीय मंत्री ने बताया कि विधेयक के कुछ उपबन्ध अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का उल्लंघन कर जाते हैं। हमारे पास उसकी कोई प्रति नहीं। अतः क्या वह उदाहरण दे सकेंगे कि ये उपबन्ध किस प्रकार उनके द्वारा उल्लिखित अनुच्छेद २५३ का अतिक्रमण करते हैं ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): एक प्रश्न पूछा गया था कि सरकार कब तक नया विधेयक प्रस्तुत करेगी । मैं भरसक कोशिश करूंगा कि अगले सत्र में किसी समय उसे पुरःस्थापित कर दूं । यह सत्र लगभग समाप्त है और अगला सत्र जुलाई या अगस्त में होगा । हम सारे भारत के लिये सभी समस्याओं को समेटने वाला विशय विधेयक सदन में रखेंगे । मेरी समझ से इससे सबकी इच्छाओं का समाधान हो जायेगा । अभिसमय हो या न हो, मैं इस बुराई को अपनी परंपराओं के अनुसार दूर करूंगा और उसे दूर करके ही मानूंगा । हम उस अभिसमय तक ही सीमित रहें या उसका अतिक्रमण कर जायें, यह विशेष महत्व की बात नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : माननीया महिला सदस्य ने अभिसमय के बारे में पूछा था । मैं यह पूछता हूं कि जब यह विषय समवर्ती सूची में है, तब उनकी सहमति की या वैध आपत्ति की क्या बात है ? आपको सतर्कता समिति, शरणगृह आदि पर व्यय करना होगा, पर इस विधेयक के बनाने में वैध बाधा क्या है ?

श्री दातार : हमें बताया गया है कि चूंकि यह विधेयक दांडिक है, तथा जेल में डालने आदि का निर्देश करता है, अतः यह सप्तम अनुसूची की द्वितीय सूची की मद ४ के अधीन आता है, जो राज्य का विषय है । हमें परामर्श दिया गया है कि राज्यों की सहमति से काम करना ठीक रहेगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सभी आपराधिक मामले समवर्ती विषय हैं और आप जेल में डालने आदि का उपबन्ध करने वाली विधियां बना चुके हैं । यह किसका परामर्श है ?

श्री दातार : यह कोई कठिन बात नहीं । भारत सरकार के वैध परामर्शदाता विधि मंत्रालय में हैं । जहां तक महिला सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, इन दोनों ही विधेयकों में ऐसे उपबन्ध हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का उल्लंघन करते हैं । मैं उनको बता दूंगा ।

हमें परामर्श दिया गया है कि विधेयक में कुछ ऐसे उपबन्ध होने चाहियें, उदाहरणतः वैश्यावृति से जीविका कमाने वाले वयस्कों को दंड देने का उपबन्ध, और इस प्रकार के वैश्यागृहों से लड़कियों को बचाने का उपबन्ध जो पूर्ण रूप से अभिसमय के निबन्धनों के अनुसार नहीं । मैं वैधानिक आपत्ति नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि राष्ट्र-हित की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । हम एक विधेयक प्रस्तुत करने के लिये उत्सुक हैं और हम विधि सम्बन्धी कठिनाइयों और सूक्ष्मताओं पर निर्भर नहीं रह सकते । इस विचार से कि भारत सरकार इस विषय पर विस्तृत विधान प्रस्तुत कर सके, मैं प्रस्तावक से प्रार्थना करता हूं कि वे विधेयक को वापस ले लें ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य विधेयक को वापस लेने के लिये तैयार हों तो विषय पर आगे चर्चा करने का कोई लाभ नहीं ।

श्रीमती मणिबेन पटेल : अगर सरकार अगले सेशन में लाने के लिये पक्की तरह से कहे तब तो मैं विदड्रा कर सकती हूं । लेकिन अगर अगले सेशन में कहे कि हम को टाइम नहीं है, इसलिये हम इस को नहीं ले सकते, तब मैं इस को विदड्रा नहीं कर सकती ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य को कोई सन्देह हो तो वे इसे वापस न लें : इसे स्थगित किया जा सकता है और अगली वार वे इस की फिर पूर्वसूचना दे सकते हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या मैं इस के लिये एक सुझाव रख सकता हूं ? सुझाव यह है कि सरकार यह वचन दे कि यदि वह अगले सत्र में अपना विधेयक न ला सकी तो वह किसी सरकारी कार्यवाही के दिन इस को लेने देगी ।

डा० काटजू : इतना अविश्वास क्यों है ? मैं ने यह निश्चित आश्वासन दिया है कि इस विषय पर विचार किया जायेगा और मैं ऐसा प्रबन्ध करूंगा कि अगले २ या ३ मास में सब आरंभिक प्रबन्ध हो जायें, और ज्यों ही अगला सत्र आरंभ होगा हम एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे ।

श्री बी० एस० मूर्ति : हम सरकार से यह आश्वासन चाहते हैं कि यदि वे विधेयक प्रस्तुत न करें तो इस विधेयक को प्राथमिकता दी जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्राथमिकता गृह-मंत्री के हाथ में नहीं है । स्थगित किये गये ऐसे विधेयकों की प्राथमिकता के लिये मत दान लिये जाने का नियम है ।

श्री के० के० बसु : एक ऐसा उपबन्ध है जिस के द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित कर के कि पहले, दूसरे अथवा तीसरे गैर सरकारी दिन को यह विधेयक लाया जायेगा, हम इस नियम का विलम्बन कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा पर निर्भर है कि वह इसे स्वीकार करे अथवा नहीं परन्तु पहले स्थगन के लिये औपचारिक प्रस्ताव होना चाहिये ।

श्री डी० सी० शर्मा : मेरा निवेदन है कि जब सदस्य इस चर्चा में भाग लेते फिर मंत्री को इस पर बोलना चाहिये था । उपाध्यक्ष द्वारा इस में हस्तक्षेप करने की क्या आवश्यकता थी । इस से तो प्रतीत होता है कि इस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा को दबाया जा रहा है ।

श्री अलगू राय शास्त्री (जिला आजमगढ़—पूर्व व जिला बलिया—पश्चिम) : मैं यह कह रहा हूं कि एक महिला की तरफ से यह बिल आया और उस पर उन का जो भाषण हुआ, या जो यहां पर हाउस का सेन्स था, उस को देख कर हमारे मंत्री महोदय को यह प्रेरणा हुई कि वह एक बड़ा सा बिल इस सारे विषय पर थोड़े दिन के बाद ले आवें । इतना आश्वासन देने के बाद कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि हम उन की बातों का विश्वास न करें । हम को यह नहीं मान लेना चाहिये कि वह जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं इस बिल के द्वारा, उस उद्देश्य को पूरा करने की भावना मंत्री महोदय में जरा कम है । अगर ऐसा होता तो वह इस मामले में जरा टाल मटोल करते जो सम्मतियां उन को प्राप्त हुई हैं, उन सम्मतियों के आधार पर उन्हों ने कुछ बातें आप के सामने कहीं, लेकिन उन्हों ने इस का भी विश्वास दिलाया कि जुलाई या अगस्त तक जब दूसरा सेशन होगा तब एक काम्प्रिहेन्सिव बिल इस सम्बन्ध में आवेगा । ऐसी अवस्था में मैं नहीं समझता कि हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिये और इस बिल को स्थगित करने की मांग स्वयं अपनी ओर से नहीं लानी चाहिये । अवश्यमेव इस को स्थगित करना चाहिये और यहां उन पर विश्वास करना चाहिये ।

मैं कहता हूं कि इस बिल पर विचार स्थगित किया जाय, उस आश्वासन को सामने रखते हुए जो कि मंत्री महोदय की ओर से दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है । कोई व्यक्ति इस का संशोधन प्रस्तुत करे ।

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक पर वादविवाद अगले सत्र के किसी गैर सरकारी कार्य के दिन तक स्थगित कर दिया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।

श्री के० के० बसु : जिस ढंग से कार्यवाही को धकेला जा रहा है हमें इस पर आपत्ति है।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति। मैं ने इसे धकेला नहीं है। माननीय सदस्य का कथन सर्वथा अनुपयुक्त है। इस विषय पर २० मिनट लगाये गये हैं और उन्हें संशोधन प्रस्तुत करने की अनुज्ञा भी दी गई थी। मैं उन्हें अपने शब्द वापस लेने के लिये कहूंगा।

श्री के० के० बसु : मैं ऐसा ही करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वे शेष दिन के लिये सदन से बाहर चले जायें।

श्री के० के० बसु : ऐसा बहुत हो चुका है।

श्री अलगू राय शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, श्री बसु यहां से जाते समय ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते हुए गये हैं कि जो इन तमाम बेंचेज़ के मेम्बर्स के लिये हमारी शान के बिल्कुल खिलाफ हैं। इस तरह का जो टेम्पर ज़ाहिर करते हैं उन के लिये एडीकेट पनिशमेंट जो पार्लियामेंटरी प्रोसीड्योर में हो वह उन को दिया जाना चाहिये। इस तरह की चीज़ को बर्दाश्त करते करते हम लोगों ने इस हाउस की डिगनिटी को धक्का पहुंचाया है। इस तरह की बातें कह कर के चले जाते हैं जो इस हाउस की शान के बिल्कुल खिलाफ़ हैं। ये कभी पार्लियामेन्ट के मेम्बर नहीं रहे हैं, कभी पार्लियामेंटरी एक्टविटीज़ में हिस्सा नहीं लिया है और इत्तिफ़ाक़ से यहां आ गये हैं, ऐसे मेम्बर जो इस हाउस की शान को बट्टा लगाते हों, उन का आना यहां बन्द होना चाहिये और सख्त से सख्त सज़ा इस के लिये उन को मिलनी चाहिये, मैं इस का प्रस्ताव करता हूं।

श्रीमती सूचेता कृपालानी : मैं जानना चाहती हूं कि श्री अलगू राय शास्त्री ने जो "इत्तफाक से आ गये हैं" ये शब्द अभी प्रयोग किये हैं, उन का क्या अभिप्राय है।

श्री अलगू राय शास्त्री : अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपनी परिस्थिति साफ़ कर दूं। श्रीमती सुचेता जी को मेरे कथन पर भ्रम हो गया है। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ़ यह था कि जो लोग पार्लियामेंटरी लाइफ़ से वाक़िफ़ हैं और पहले से मेम्बरी करते रहे हैं उन के व्यवहार में और जो पहले पहल यहां पर चले आये हैं, उन के व्यवहार में अन्तर होता है और उन को ट्रेनिंग लेनी चाहिये। अगर वे लोग कुछ मिसबिहेव करते हैं तो उन को पनिशमेंट मिलना चाहिये। इतना ही मेरे कहने का मतलब है। इस में कोई सन्देह नहीं है कि वह वोट से चन कर यहां पर आये हैं और चुनाव में अपने विरोधी को हरा कर आये हैं, ऐसे ही यहां पर और लोग भी चुन कर आये हैं।

खाद्य पदार्थ अपमिश्रण दण्ड विधेयक

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण करने के दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के लिये दण्ड का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह जो बिल है यह खाद्य वस्तुओं में जो मिलावट की जाती है उस के लिये मेरा सुझाव है कि पार्लियामेंट को एक ऐसा बिल पास करना

चाहिये जिस से इस तरह के अपराध करने वाले लोगों को हम अधिक से अधिक सज़ा दे सकें। मेरे इस बिल के पेश करने का अभिप्राय यही है।

श्री ए० पी० सिन्हा (मुज़फ़्फ़पुर–पूर्व) : आप के बिल का नाम क्या है ?

श्री झुनझुनवाला : ज़रा थोड़ी देर सब्र कीजिये, आप को मालूम हो जायेगा।

तो मैं यह कह रहा था कि ख़ास कर के खाद्य पदार्थों में आज जो मिलावट होती है, उस को रोकने के लिये यहां से यह बिल पास होना चाहिये कि जो ऐसा काम करें उन को अधिक से अधिक सज़ा दी जाय। पहले यह कानून था कि इस तरह का क़ानून केवल स्टेट गवर्नमेंट ही पास कर सकती थी, परन्तु इस विषय पर विधान परिषद् में काफ़ी बहस हुई और उस के बाद यह तय पाया गया कि यह चीज़ ऐसी है कि जिस को एक सेंट्रल सबजेक्ट बना दिया जाय और फिर यह सेंट्रल सबजेक्ट बना दिया गया। जब यह सेंट्रल सबजेक्ट बना दिया गया, उसी समय मैं ने यह बिल यहां पर पेश किया था। इस बिल को आज पेश किये हुए कम से कम ६ वर्ष हो गये और जब मैं ने इस बिल को पेश किया तो हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी ने हम को पत्र लिखा कि आप ने जो यह बिल पेश किया है इस को कृपा कर के विदड्रा कर लें क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इस क़िस्म का एक कम्प्रीहेन्सिव बिल लाने वाली है। उन्हों ने यह भी लिखा कि इस प्रकार का क़ानून यद्यपि बहुत सी स्टेटों में है, परन्तु उन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, केवल वह क़ानून ही बना कर रख दिये गये हैं, अतएव यदि इस प्रकार का यह बिल पास भी हो जाय तो भी जब तक कि स्टेड गवर्नमेंट्स उन सब क़ानूनों को कार्य रूप में परिणत नहीं करेंगी, तब तक उस से कोई लाभ नहीं होगा। उस पत्र के जवाब में मैं ने स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखा कि आप का कहना बहुत ठीक है, मैं इस बिल को विदड्रा कर लूंगा। मैं जो बिल लाया हूं, वह बहुत छोटा सा है, परन्तु मैं पार्लियामेंट का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जितने भी आप स्वास्थ्य सुधार के काम करते हैं वह सारे आप के काम बेकार हो जाते हैं, जब तक कि लोगों को खाद्य पदार्थ शुद्ध नहीं मिलते और यदि खाद्य पदार्थ आप को मिलावटी में मिलते हैं तो मैं कहूंगा कि आप जितने भी हस्पताल बनाते हैं, आयुर्वेद के हस्पताल स्थापित करते हैं अथवा और जो भी अन्य अन्य कामों में पैसा ख़र्चते हैं, वह सब पैसा बेकार जाता है और उन से कोई लाभ नहीं होता। आज हालत यह है कि दिल्ली शहर में आप कहीं भी चले जाइये, आप को कोई भी चीज़ बगैर मिलावट के मिलनी मुश्किल है।

हमारे मित्र पंडित ठाकुर दास जी भार्गव बहुत दिनों से इस चीज़ के ऊपर कह रहे हैं कि वेजिटेबुल घी, जोकि घी के मिलावट में काम आता है, उस से कितना भारी नुक्सान हो रहा है हम लोगों के स्वास्थ्य पर कितना भयानक असर होता है इस का अनुभव कोई नहीं कर सकता इस का अनुभव बिशेषकर वही लोग कर सकते हैं जो कि केवल वेजिटेरियन हैं। जब भी इस बात को कहा जाता है कि यह चीज़ जो है वह बहुत बुरी है तो उस के जवाब में यह कहा जाता है कि नहीं, हम लोग तो इस चीज़ का व्यवहार बहुत दिन से कर रहे हैं और इस से कोई नुक्सान नहीं हुआ। परन्तु वे इस बात को नहीं देखते कि वे इस चीज़ को कितनी मात्रा में व्यवहार करते हैं और वे कौन कौन से दूसरे पदार्थ खाते हैं जिन पदार्थों के साथ इस चीज़ का नुक्सान उतना नहीं हो सकता है। शायद न भी हो। लेकिन जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, केवल निरामिषाहारी हैं, अगर देखा जाय

[श्री झुनझुनवाला]

तो उन लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा भारी नुक्सान हुआ है ।

इसी तरह से आप देखिये कि आटा है, आटे में हर प्रकार की बदमाशी कर के जो लोग मिलावटें करते हैं उस का क्या असर पड़ता है । चूना भी मिला देते हैं और भी चीज़ें मिलाते हैं । जब वह चीज़ें बाजार में जाती हैं और वही चीज़ें जब लोगों को खाने को दी जातीं हैं, वही चीज़ें बीमार आदमियों को खाने को दी जाती हैं । ऐसी हालत में मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछूंगा कि ....

एक माननीय सदस्य : कहां हैं मंत्री जी ?

श्री झुनझुनवाला : स्वास्थ्य मंत्री जी तो नहीं हैं, मगर पार्लियामेंट्री ऐफेअर्स के मंत्री जी हैं, मैं उन से पूछूंगा कि वे तो दवा देते हैं बीमारों को और आटा के बदले में चूना खाने को देते हैं तो क्या उस से नुक्सान नहीं पहुंचता ? आप इस के लिये क्या कर रहे हैं ? आप कृपा कर के खड़े हो कर जवाब दे दीजिये, तो फिर मैं आगे चलूं ।

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : सारी बात पूछिये । बहुत उचित प्रबन्ध है । गवर्नमेंट हमेशा उचित प्रबन्ध करती है, आप इस को समझ लीजिये । जो भी सजेशन्स आते हैं मैम्बर्स की तरफ से, उन पर गवर्नमेंट काफी गौर करती है । और जो भी ऐसी बात होती है जो कि गौर करने के लायक होती है, उस पर गवर्नमेंट पूरा ध्यान देती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मेरी ओर देख कर बोलें ।

श्री झुनझुनवाला : माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो भी बातें कही जाती हैं, गवर्नमेन्ट उन पर ध्यान देती है । हम गत सात वर्ष से पूछ रहे हैं कि इन चीज़ों में मिलावट हो रही है ।

एक माननीय सदस्य : कौन मिलाता है ?

श्री झुनझुनवाला : आप भी याने जिन सदस्यों ने पूछा शायद वे भी मिलाते होंगे । बाजार में मिलता है और बाजार में वह चीज खाने को मिलती है । कौन मिलाता है, इसके नाम तो हमारे पार्लियामेन्ट्री अफेअर्स के मंत्री जी कहते हैं कि गवर्नमेंट को सब मालूम है, वह इसको देखेंगे । आप इसको बढ़ा दीजिये, शिकायत कीजिये, उस शिकायत को दूर करने का काम वह करेंगे । तो कौन मिलाता है यह काम तो उनके देखने का है । उन से पूछिये कि कौन मिलाता है । जो भी मिलाता है उनके ऊपर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? इसकी बात आप मुझसे क्यों पूछते हैं । मैं तो जब खाने के लिये कोई चीज़ लेने जाता हूं तो वहां पर ऐसी ही मिलावटी चीज़ें मिलती हैं । मैं यह कहना चाहता हूं ।

जैसा मैं कह रहा था, आटा लीजिये, घी लीजिये, हल्दी लीजिये । हल्दी लेने के लिये यदि आप बाज़ार में जायेंगे तो वहां पर उसके साथ में पीला रंग मिला हुआ मिलता है । इसी तरह से मिर्च लीजिये । मैं आपको चांदनी चौक में दिखला दूंगा कि वहां पर पिसा हुआ मिर्च मिलता है । उसमें लाल रंग मिला हुआ रहता है ।

श्री अलगू राय शास्त्री (ज़िला आज़मगढ़–पूर्व व ज़िला बलिया पश्चिम) : धन्य है बनिया समाज और क्या कहूं ?

श्री झुनझुनवाला : इसके बारे में मंत्री महोदय कुछ बतलायेंगे ?

श्री सत्य नारायण सिन्हा : मंत्री की बात तो सुन लीजिये । मेम्बर साहब को मालूम होगा कि फूड ऐडल्टरेशन बिल हाउस में लाया गया गवर्नमेंट की तरफ से । वह सेलेक्ट कमेटी को रेफर हुआ । सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट हाउस में आई हुई है । दिक्कत यह

हुई कि पिछले सेशन में वह समय के अभाव से नहीं आ सका। इस बार भी हमने बहुत कोशिश की, बिजिनेंस ऐडवाइज़री कमेटी के सामने भी वह लाया गया, लेकिन हाउस के सामने नहीं आ सका। इन सब बातों का ध्यान करते हुए अगर मेम्बर साहब थोड़ा धीरज रखें तो अगले सेशन में वह बिल इस हाउस में आयेगा। वह सेलेक्ट कमेटी के सामने गया, सेलेक्ट कमेटी का फैसला भी हो चुका है। आइन्दा अधिवेशन में वह अवश्य आयगा।

१२ मध्याह्न

श्री झुनझुनवाला : गवर्नमेंट ने इस समूचे बिल को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है, लेकिन में आपके जरिये से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जैसा कि हमारी स्वास्थ्य मन्त्रिणी जी ने कहा था .....

उपाध्यक्ष महोदय : मझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ठीक समय पर आ गये हैं। संसद् कार्य मंत्री पर सारा कार्य छोड़ देना ठीक नहीं है। मैंने देखा है कि कुछ मंत्री यहां से चले जाते हैं। उन्हें सदन के कार्य को दृष्टिगत रखते हुये अपनी जगहों पर बैठे रहना चाहिये। या अपने उप मंत्रियों द्वारा उत्तर के लिये तैयार रहना चाहिये। अन्यथा सब कार्यवाही व्यर्थ हो जाती है।

श्री झुनझुनवाला : तो मैं यह कह रहा था कि यह बात ठीक है कि गवर्नमेंट की तरफ से बिल लाया गया है और उस बिल को हमने देखा भी है। परन्तु स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह कहा था कि कानून बना देना ठीक है और बन भी जायेगा। स्टेट्स में कानून बने हुये हैं और जिस वक्त मैंने इस बिल को पेश किया था उस वक्त दिल्ली स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐडमिनिस्टर होती थी, तब मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछा था कि खैर, अन्य स्टेट्स तो करती हैं, यह दूसरी बात है, लेकिन दिल्ली में इसके बारे में क्या हो रहा है वहां तो सब यहां की मंत्राणी जी के हाथ में है क्या बातें हो रही हैं, क्यों नहीं यहां पर इस बराई को दूर किया जाता है ? आज हम लोग दौड़ते हैं चाइना की तरफ, हम लोग दौड़ते हैं रशिया की तरफ, वर्ल्ड कान्फरेन्स करते हैं, इन सब में हमारी स्वास्थ्य मंत्राणी जी बेहद व्यस्त रहती हैं इसलिये वे हमारी धन्यवाद की पात्र हैं। परन्तु मेरा यह सुझाव है कि जितना एक इन सब की दौड़ धूप में समय और धन खर्च करती हैं यह सब छोड़ कर यदि सप्ताह में एक बार एक घंटे के लिय इन दुकानों पर चली जायें तो बहुत कुछ बुराई दूर होगी। परन्तु जितना भी काम यहां पर होता है, जितनी भी रकम आज यहां पर स्वास्थ्य सुधार और दवाओं में लगती है, यदि जो चीज़ बाजार से लाई जाय और जो अस्पताल में खाने के पदार्थ पहुंचाये जाते हैं, अगर वही इस्तेमाल होते रहें तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछूंगा कि उनकी दवाओं का क्या असर होगा मैं उन से पूछना चाहता हूं कि यहां पर बनावटी चीजें न मिलें इसके लिये उन्होंने क्या किया है ? यह तो सेन्ट्रल सब्जेक्ट था सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में था, उपाध्यक्ष महोदय वेजीटेबल घी को प्रोत्साहन दे कर तो हमारी सरकार मिलावटी घी बिकवाने में सहायता करती है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुये]

यदि आप यह कह दें कि नहीं, जितना भी हो सकता था, हम लोगों ने पूरा प्रयत्न कर लिया, तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि मेरा यह बिल लाना ही व्यर्थ हुआ और आप जो बिल यहां पर लाये हैं वह बिल भी, जिस पर पांच, सात दिन पार्लियामेंट का समय लेंगे, बिल्कुल बेकार हुआ। आप यह कह दीजिये कि अभी तो जो कुछ हुआ है, जिस तरह की चीजें मिलाई जा रही हैं, उन को दूर करने के लिये, इस दोष को दूर करने के लिये हम लोगों ने बहुत

[श्री झुनझुनवाला]

चेष्टा कर ली, कानून तथा सत्ता के द्वारा जो हो सकता था, सब कर लिया, इससे अधिक नहीं हो सकता है, तब फिर आप यह बिल क्यों लाते हैं ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि बिल तो हमारे यहां बहुत आते हैं। ऐक्ट भी पास हो जाते हैं परन्तु आपने उसका इम्प्लिमेन्टेशन क्या किया ? और यदि यह इम्प्लिमेन्ट नहीं होते हैं तो यह सब चीज़ें जो कि आप कर रहे हैं, दवाओं का प्रबन्ध कर रहे हैं, उससे आखिर क्या लाभ होता है ?

मैं इसके ऊपर विशेष नहीं कहना चाहता। जब पहले मैंने यह बिल पेश किया था उस समय स्वास्थ्य मंत्री ने मुझे एक पत्र लिखा था कि तुम यह बिल क्यों पेश करते हो, वे खुद इस दोष को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहती हैं। मैंने उस समय उस पत्र के जवाब में लिखा था कि उनका यह कहना ठीक है परन्तु उन्होंने दिल्ली शहर में क्या किया। तो मैं मंत्री जी से सीधा सवाल यह पूछता हूं कि आज तक वे तो अधिकार में थीं उन्होंने क्या किया यदि उन्होंने इस दोष को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की तो क्यों नहीं की और अगर आप करके थक गई हों तो कह दीजिये कि वे करके थक गईं। अगर ऐसी बात है तो किसी बिल का लाना और इस हाउस का पांच सात दिन का समय बेकार खर्च करने से क्या लाभ है, और इस पर रुपय खर्च करना बेकार होगा।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है अथवा नहीं ?

श्री झुनझुनवाला : मैं इस बिल को पेश करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : जनाब, आनरेबिल मेम्बर ने जो कुछ इस मसले के बारे में कहा मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। यह एक ऐसी बात है जिससे लोगों की सेहत को बहुत नुकसान पहुंचता है क्योंकि अगर हमको खुराक की शुद्ध चीज़ नहीं मिलेगी तो हम चाहे कितनी भी दवायें काम में लायें हमारा काम कभी नहीं बन सकता। तो इससे तो मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन जब तक सेंट्रल कानून बनाने की शक्ति मेरे हाथ में नहीं थी तब तक इस चीज़ को मैं हाउस के सामने नहीं ला सकी। लेकिन मैं हमेशा दो दो तीन तीन महीने बाद स्टेट मिनिस्टर्स को लिखा करती थी कि आप कुछ ऐसी मैशिनरी बनायें कि जिससे फूड एडल्टरेशन बन्द हो और जो बद-दयानतदार लोग मिलावट करते हैं उसकी रोक थाम हो। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकती थी। जब मैं यहां आई थी तो दिल्ली में सिर्फ एक अफसर था जो इस काम के पीछे लगा रहा करता था। मैंने इन अफसरों की तादाद काफी बढ़ायी ताकि इस काम पर ज्यादा तवज्जह दी जाय। लोगों से मैंने मिन्नत भी की, मैंने मीटिंग्स भी कीं, लेकिन बददयानतदारी को दूर करना कोई आसान काम नहीं। उसके बाद जब भी मेरे हाथों में यह ताकत आई कि मैं एक बिल इस हाउस के सामने रखूं तो मैंने फूड एडल्टरेशन बिल इस घर के सामने रखा। वह इस हाउस के सामने आया। उसके लिये एक सिलेक्ट कमेटी बैठी और अब वह बिल आप लोगों की तवज्जह के लिये तैयार है। यह मेरी बदकिस्मती है कि चूंकि इतने काम और यहां रहते हैं इसलिये यह बिल हाउस के सामने नहीं आ सका। मैं इस बारे में लड़ती हूं और मैंने आप लोगों से भी विनती की कि आप मेरा साथ दें इस बात में कि यह बिल जल्दी से जल्दी घर के सामने आये और पास हो जाये। लेकिन आज तक

यह बिल आ नहीं सका । इस बार भी मैंने पार्लियामेंटरी अफेअर्स के मिनिस्टर साहब से कहा तो उन्होंने बतलाया कि चूंकि बिजीनेस ज्यादा है और लोग इस पर बोलने के लिये तीन रोज़ चाहते हैं इसलिये इसको अगले सेशन के शुरू में ही घर के सामने पेश कर दिया जायेगा ।

श्री बी० डी० शास्त्री (शाहडोल-सिद्धि): यह बिल ज्यादा ज़रूरी नहीं समझा जाता ।

राजकुमारी अमृतकौर : मैं इसको बहुत ज़रूरी समझती हूं । मैंने सुबह से ले कर शाम तक बैठ बैठ कर इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में पांच रोज़ में पास करवाया इसलिये कि यह जल्द से जल्द पास हो जाय । लेकिन यह हाउस के सामने नहीं आ सका । इसका क़सूर मैं अपने ऊपर नहीं लेती हूं । आपको भी इसके बारे में मालूम था और अगर आप लोग दिलचस्पी लेते और आन्दोलन करते कि सरकार इसको जल्दी से जल्दी हाउस के सामने लाय तो यह ज़रूर आता । लेकिन अब आप लोग मेरे ऊपर क़सूर डालते हैं, तो मैं कहती हूं कि इसमें मेरा कोई क़सूर नहीं है । साल भर से यह बिल तैयार है कि यह घर इस पर गौर करे ।

मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जो बिल आनरेबिल मेम्बर ने पेश किया है वह काफी नहीं है । जिस मकसद पर वह पहुंचना चाहते हैं और जिस मकसद पर मैं भी पहुंचना चाहती हूं उस के लिये उनका बिल काफी नहीं । तो मैं उन से निवेदन करूंगी कि जो उन्होंने इस मसले पर इस घर की तवज्जह दिलाई है उसमें मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं । मैं मानती हूं कि सरकार को इसके लिये कुछ न कुछ करना चाहिये । और जल्दी से ज़ल्दी करना चाहिए । मैं फिर उनसे कहूंगी कि जो उनका बिल है उसको मैं बहुत इनएडीक्वेट समझती हूं । मस्लन उसमें फूड और एडल्टरेशन के स्टेंडर्ड्स रखे नहीं हैं । मेरा बिल काफी डिटेल में गया हुआ है और बहुत मुफीद होगा । अगर यह जल्दी से जल्दी हाउस के सामने आ जाय और पास हो जाय तो मैं बहुत खुश होऊंगी । मैं कहना चाहती हूं कि मैं हमेशा स्टेट गवर्नमेंट्स को और दिल्ली गवर्नमेंट को जिसके बारे में आन० मेम्बर ने बहुत कुछ कहा कहती रहती हूं कि वे इस बारे में सावधान रहें और जहां तक हो सके एडल्टरेशन बन्द करने की कोशिश करें । इसलिये मैं आन० मेम्बर से निवेदन करूंगी कि वह अपने बिल को वापस ले लें और जल्दी से जल्दी मैं अपने बिल को इस घर के सामने लाने की कोशिश करूंगी ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य के समक्ष दो विकल्प हैं, चाहे वे विधेयक को वापस लें, चाहे सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा जाये कि इस विधेयक पर चर्चा अगले सत्र तक स्थगित की जाये ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक पर चर्चा अगले सत्र के किसी गैर सरकारी कार्य के दिन तक के लिये स्थगित कर दी जाये ।"

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक

श्रीमती मनीबेन पटेल (कैरा–दक्षिण): मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि महिलाओं तथा बच्चों की देख भाल करने वाली संस्थाओं के विनियमन तथा अनुज्ञापन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

चेयरमैन साहब अभी थोड़ी देर पहले जो एक बिल एडजोर्न किया गया था उसके साथ इस बिल का भी काफी सम्बन्ध है ।

[श्रीमती मनीबेन पटेल]

उसमें बतलाया गया था कि किस तरह से स्त्रियों और बच्चों से नाजायज काम करा रहे हैं और मेरा बिल जो है वह उन संस्थाओं को ठीक से रेगुलेट करना चाहता है और लाइसेंस करना चाहता है जो बच्चों और स्त्रियों की देख भाल करते है। मैं जानती हूं कि आज ये संस्थायें अनाथालय और विधवा आश्रम किस प्रकार चल रहे हैं और मैं आपको बतलाऊं कि कुछ अनाथालयों में बच्चों को बेचने का पेशा चलता है। विधवा आश्रमों में भी यह गड़बड़ चलती है। किसी बेचारे भले आदमी ने विधवा आश्रम के हेतु, ताकि बाल विधवाओं की रक्षा भली प्रकार की जाय, इस अच्छे काम के लिये रुपया दान में दिया, परन्तु उस संस्था के संचालक महाराज बड़े उस्ताद थे उन्होंने बाल विधवा की शादी जिससे करवाई उससे पैसा ले लिया और थोड़े दिन बाद उस लड़की को उस आदमी के पास से भगा कर ले आये। तो मेरे कहने का मतलब यह ह कि इस तरह की जो सामाजिक संस्थाएं चलती हैं उन पर सरकार की निगाह रहनी चाहिय और हर कोई आदमी इस तरह से इन संस्थाओं को मनमाने ढंग से न चला सके। जो संस्था इस तरह की चलावे, उसको सरकार से कुछ लाइसेंस लेना पड़े और उसके ऊपर कुछ रुकावट हो और जो संस्थायें ठीक से नहीं काम करती हैं उन पर सरकार इस कानून के मातहत कुछ रोक लगा सके। आज के दिन इन बाल अनाथालय और विधवा आश्रमों की दशा बड़ी दयाजनक है और बजाय उनकी रक्षा करने और ठीक से देख भाल करने के ये संस्थायें उनका अनुचित लाभ उठा रही हैं और उनको एक व्यापार का साधन बना रखा है। इसीलिये हम लोग इसे बहुत आवश्यक समझते हैं कि सरकार इन संस्थाओं पर कुछ नियंत्रण रखे और लाइसेंस आदि देने को व्यवस्था करे तो हम आज जो यह बच्चों और स्त्रियों को लेकर ये संस्थायें व्यापार कर रही हैं और लाभ उठा रही हैं उसको रोकने में कामयाब हो सकेंगे। इसी मंशा से मैं यह बिल इस हाउस के सामने पेश करती हूं और आशा करती हूं कि सरकार इस पर सोचेगी और अगर उसके द्वारा एक केन्द्रीय लेजिस्लेशन आता है तो यह जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बच्चों और हमारी बहनों को उठा कर ले जाते है, उसको हम रोक सकने में समर्थ हो सकेंगे। इसलिये मैं यह बिल हाउस के सामने रखती हूं।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

पण्डित सी० एन० मालवीय (रायसेन): सभापति जी, अभी जो बिल इस हाउस के सामने पेश किया गया है, मुझे हैरत है कि आजादी के इतने दिन गुजर जाने के बाद भी आज हमारी बहिनों को इस बात का आन्दोलन करना पड़ रहा है कि हिन्दुस्तान से इस किस्म की लानत को खत्म किया जाय। इससे हम क्या वाकिफ नहीं है और हमारे लिये क्या यह शर्म की बात नहीं है कि आजादी के इतने दिन गुजर जाने के बाद आज तक हम हिन्दुस्तान में न तो इस किस्म का कानून बना सके और न जो कानून आज तक मौजूद हैं उन कानूनों का हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सके कि जिससे हम इस लानत को अपने देश से खत्म कर सकते। मुझे मालूम है कि आज भी हमारे पास ऐसे कानून मौजूद हैं कि जिनसे हम इन चीजों को खत्म कर सकते हैं लेकिन मुश्किल यह है कि हमारी समाज के अन्दर जिस तबके, जिस वर्ग और जिस किस्म के लोगों का असर है खुद वह लोग इस चीज में सने हैं और उन का दिल इसके साथ हमदर्दी रखता है और वह इसमें खुशी मनाते हैं और इस वजह से हम समाज में से उस बुराई को नहीं निकाल

पाते। मैं सिर्फ इसी चीज को उचित और काफी नहीं समझता कि इस किस्म की जो संस्थायें चल रही हैं उनको लाइसेंस दिया जाय और बिना लाइसेंस उनको न चलने दिया जाय, बल्कि मैं तो यह चाहता हूं कि इस बिल में अमेंडमेंट करने के बाद इस बिल को इतना सख्त बनाया जाय या फिर गवर्नमेंट खुद इस मकसद का कोई बिल लाए कि जिसमें इस बुराई को बिल्कुल खत्म कर दिया जाय और इसको गैरकानूनी करार दिया जाय। गवर्नमेंट इस बात की जिम्मेदारी ले कि जितने भी इस किस्म के अनाथ बच्चे हैं जितने भी इस किस्म के हमारे भाई बहिन हैं उनके लिये खुद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स चलाये, और ऐसी बहिनों और बच्चों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर हो ताकि वह उनकी रोजी का इन्तजाम कर सके। उनकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध कर सके और पूरे तरीके से उनका जीवन यापन का इन्तजाम कर सके। हम अपने देश और समाज को जिस ऊंचे दरजे पर ले जाना चाहते है, हमने अपने देश का जो नक्शा अपने सामने रखा है, हम उस तक पहुंचने में समर्थ नहीं हो सकेंगे जब तक यह घुन और बवा हमारे बीच में से हमेशा के लिये नष्ट नहीं कर दी जाती। इस बुराई के जारी रहते हम हरगिज आगे नहीं बढ़ सकते। आज कई तरह की बुराइयां हमारी माताओं और बहिनों के साथ लगी हुई हैं और जब तक ये बुराइयां हमारे मातृ जगत में रहती हैं तो हम अपने आगे आने वाले बच्चों को भी उस बुराई से सुरक्षित नहीं रख सकेंगे और उस हालत में हम जो नक्शा बनाना चाहते हैं उसको पूरी तरह नहीं बना पायेंगे। मुझे तो हैरत होती है कि हमारी स्त्रियों और बच्चों की यह दशा होते हुये भी हमारे अधिकारियों तक उनकी आवाज नहीं पहुंचती और वे इस दिशा में अभी तक सोये पड़े हैं। हमारे अधिकारी लोग आज दूसरी समस्याओं में उलझे पड़े हैं और इधर उनका ध्यान नहीं जाता। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि अब इस मामले में और आगे पीछे और टालमटोल नहीं करनी चाहिये और सरकार को इस मामले को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। मैं श्रीमती मणिबेन पटेल का पूर्णतया समर्थन करता हूं कि आज धर्म के नाम पर और समाज सुधार के नाम पर स्त्रियों और बच्चों की रक्षा के नाम पर बहुत सी संस्थायें जो काम कर रही हैं, वे बड़ा ही अनुचित काम कर रही हैं और स्त्रियों और बच्चों का व्यापार कर रही हैं और पैसे कमा रही हैं और मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस किस्म की सोसाइटियां अधिकारियों की छत्रछाया में चलती हैं और वह अधिकारियों को मिला कर इस तरह का व्यापार करती रहती हैं।

इसलिये मेरा सुझाव यह है, हाउस से मेरी अपील है कि इस मसले को टालने की इजाजत न दें, बल्कि इसके ऊपर सख्ती से कदम उठायें। हमको इसी वक्त चाहिये कि इस बिल के सिलसिले में जो कुछ खराबी हो, उसको सुधार कर इस बिल को पूरे तौर से स्वीकार करें। इस बिल को पास करके, इसके मार्ग में जो बाधायें हों, उन को दूर करने के बाद इसको अमल में लायें।

इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट से यह अपील करना चाहता हूं कि वह इस किस्म का कानून लाये जिसके जरिये से वह ऐसी माओं, बहिनों और बच्चों की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले ताकि भविष्य में उनका जीवन सुखमय हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री टेक चन्द (अम्बाला–शिमला) : मैं इस विधेयक के प्रस्तावक को बधाई देता हूं; वास्तव में यह विधेयक बहुत देर से ही लाया गया है। हमारे देश में अनाथालयों, विद्यालयों, विधवा आश्रमों और अबला-गृहों के नाम से आज व्यभिचार एवं लम्पटता के सैकड़ों अड्डे खुले हुये हैं। यहां छोटे छोटे बच्चों को उनके

[श्री टेक चन्द]

घरों से भगा कर रखा जाता है और उनसे दुष्ट एवं अमानवी कृत्य कराये जाते हैं। व्यभिचार के इन केन्द्रों के कारण देश में अनैतिकता ही नहीं फैल रही है वरन् इनसे अपराधों एवं हिंसात्मक कार्यवाहियों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। इन आश्रमों और अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को कभी कभी हाथ पैर काट कर अपाहिज भी कर दिया जाता है ताकि लोगों के सामने ये लोग अधिक दयनीय अवस्था में उपस्थित हो सकें और दान के रूप में उन से कुछ प्राप्त कर सकें।

इन अनाथालयों आदि में अधिकतर वही बच्चे हैं जिनके या तो माता पिता नहीं हैं या जिन्हें उनके घरों से भगा कर लाया गया है। इन लोगों को अपराध करने में अभ्यस्त कर दिया जाता है और आगे चल कर यही बच्चे समाज के सबसे नीच और निकृष्ट लोग हो जाते हैं। हमारी तरफ तो अक्सर लोग गोशाला या अन्य किसी झूठी संस्था का नाम लेकर दानी प्रकृति के व्यक्तियों से चन्दा मांग कर ले जाते हैं। अपनी मीठी मीठी बातों से ये लोग सीधे साधे और दयावान लोगों को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं और उन से कुछ न कुछ हड़प कर ले जाते हैं। जो लोग यह पैसा देते हैं इस बात को जरा नहीं सोचते कि जो कुछ हम दे रहे हैं उससे दुराचार और दुष्कार्यों की ही बढ़ोतरी होगी।

यही दशा अबला गृहों की है। ये गृह व्यभिचार और दुराचार के सबसे गन्दे केन्द्र ह जहां स्त्रियों को बेचा जाता है और उनके साथ अमानवी व्यवहार किया जाता है। हमारे समाज के ये सब से अधिक भ्रष्ट एवं घृणित स्थान हैं और इनको एकदम खत्म कर देने की ओर ध्यान देना हमारा सबसे पहला काम होना चाहिये। यह एक बहुत जरूरी चीज है कि जो संस्थायें बच्चों या महिलाओं का पालन पोषण शिक्षा अथवा उनकी रक्षा की व्यवस्था करना अपना उद्देश्य बताती हों, उन्हें अनुज्ञापित करने के लिये शीघ्र से शीघ्र कदम उठाये जायें और इसकी व्यवस्था करने के लिये कड़े से कड़े कानून बनाये जायें। जैसे इंग्लैंड में डा० बरनाडो के आश्रम हैं उसी प्रकार हमारे देश में भी अनाथ बच्चों के लिये आश्रम खुलने चाहियें जो सरकार की निगरानी में काम करें और जिनके नियम ऐसे हों जिनसे किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही न रहे।

अन्त में मैं एक बात कहूंगा। कुछ लोगों का सुझाव है कि यह काम सरकार पूरी तरह से अपने हाथ में ले ले और ऐसी समस्त संस्थाओं पर सरकार का ही नियंत्रण हो और वह ही उनकी व्यवस्था करे। मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा काम है और इसमें केवल सरकार की कार्यवाही से सफलता नहीं मिल सकती। इसके लिये बड़े बड़े परमार्थियों और परोपकारियों को स्वयं आगे आना चाहिये, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग वास्तव में परमार्थी हों। यह तो ठीक है कि सरकार इन संस्थाओं पर कड़ी निगरानी रखे परन्तु पूर्णरूप से यह कार्य उसे सौंपना उचित नहीं। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है।

श्रीमती उमा नेहरू (जिला सीतापुर जिला खेरी—पश्चिम) : जनाब, चेयरमैन साहब, देश की आजादी के बाद, राजनीतिक आजादी के बाद, सामाजिक और आर्थिक आजादी की जरूरत होती है। जब तक सामाजिक और आर्थिक आजादी नहीं होती तब तक देश की आजादी भी पूरी नहीं होती है। हम स्त्रियां इस समय सामाजिक आजादी की फिक्र में लगी हुई हैं। और जब से हम यहां आई हैं तब से हमने तरह तरह के सामाजिक

बिल इस हाउस के सामने पेश किये हैं। लेकिन हमारे ऊपर जो असर पड़ता है वह बड़ा दुःख-दायी असर है और वह यह कि उन से कुछ लाभ नहीं होता। मैं खुद दहेज़ का बिल लाई थी। उस पर बहस के बाद खुद हमारी सरकार ने कहा कि हम इस बिल को लायेंगे और मेरे आगे पीछे मिनिस्टर साहब खड़े हो गये और यह यकीन दिलाया कि यह बिल बहुत जल्द आयेगा। हमारी हालत यह है कि हम बहुमत में हैं। जब हमारे आगे पीछे मंत्री आते हैं तो हमको आप से आप उनकी बात मान कर कहना पड़ता है कि बहुत अच्छा जो आप चाहते हैं वही हो जायेगा। लेकिन मुझे दुःख होता है कि न मालूम हमारे मंत्रियों के रास्ते में क्या अड़चनें आ जाती हैं कि इस तरह के जो बिल आते हैं वह ऐसा मालूम होता है कि खटाई में पड़ जाते हैं और उनका नामो-निशान बाद को नहीं दिखायी पड़ता। जब से वह बिल मेरे हाथ से गया है न मालूम कितनी दफा मैंने ला मिनिस्टर को सलामी की है और उस सलामी में हुजूर से यही कहा है कि हुजूर उस बिल का क्या हुआ और वह बिल कब तक आयेगा तो हर दफा हुजूर कह देते हैं कि "आई ऐम टेकिंग परसनल इंटरेस्ट इन इट।" तो इस दवा से हमारा इलाज नहीं हो सकता आज भी मैंने देखा कि एक सोशल बिल आया। उसका भी वही हश्र हुआ। उसमें इतनी गड़बड़ी हुई कि मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम किधर जा रहे हैं। हमारे होम मिनिस्टर साहब इधर आये और न मालूम उन्होंने मुझ से क्या क्या कहा मेरी समझ में नहीं आया। मै कहती हूं कि जब हमको यह निश्चय हो गया है कि जब तक हमारी सामाजिक उन्नति नहीं हो सकती हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, तो हमारी सरकार का यह फर्ज़ होना चाहिये कि वह इस तरह के बिल खुद लाये। हम तो यह बिल लाते हैं लेकिन सरकार का यह फर्ज कि वह ऐसे बिल लावे जिनसे समाज की वह कमजोरियां दूर हों जिन की वजह से देश की गाड़ी आगे नहीं जा सकती। मैं देखती हूं कि खास काम हम ही करते हैं जब कि नान आफिशियल डे आता है। लेकिन जब नान आफिशियल ड आता है तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि हमारा कोई सिरधरा नहीं है और इससे मुझे बड़ा दुःख होता है। नान आफिशियल डे को हम बिल लाते हैं लेकिन वह बेकार जाते हैं और उनका कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो उस वक्त मुझे याद आता है कि यूनीवरसिटी में भी एक इसी तरह की यूनियन हुआ करती थी और उसमें हम "मिस्टर प्रेसीडेट" कह कर बोलते थे लेकिन वहां जो डिबेट होती थी उसका कोई नतीजा नहीं हुआ करता था।

आज हमने यह निश्चय किया है कि देश में जो सामाजिक कमजोरियां हैं उनको हम कानून बना कर हटाना लाज़िमी है।

पहले तो मेरा यह कहना है कि जब कोई स्त्रियों का ऐसा मामला आवे तो चूंकि यहां मुट्ठी भर स्त्रियां हैं, हर स्त्री को बोलने का मौका मिलना चाहिये क्योंकि उसको इस में बोलने का हक है।

मैंने विधवा आश्रमों के किस्से सुने हैं। खुद में भी कुछ किस्से जानती हूं। मेरे जो पुरुष भाई हैं मैंने उनकी मैनेजिंग कमेटियों को देखा है और मैंने उन के अत्याचार देखे हैं और मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि हमारी गवर्नमेंट को सब से पहली चीज़ .....

पंडित के० सी० शर्मा (ज़िला मेरठ–दक्षिण) : औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में मैं सभापति महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह सदन की स्त्री सदस्याओं और पुरुष सदस्यों में भेद करने की बात न होने दें।

सभापति महोदय : इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है।

श्रीमती उमा नेहरू: लेकिन म अपने भाई को यकीन दिलाती हूं कि हम लेडी मेम्बर, जिनको मैं विमेन मेम्बर कहती हूं, आपके सामने माओं की हैसियत से आती हूं आप हमारे बेटे हैं। हम अपने बेटों से कैसे अपने आपको जुदा कर सकती हैं। यह तो बेटों की कम अक्ली है कि वह हमको अपने से जुदा समझे हुये हैं। जब हम अपने लड़कों को और भाइयों को, जो कि इन विधवा आश्रमों की मैनेजिंग कमेटियों के मेम्बर हैं, गलत कदम उठाते देखती हैं, उन के गलत चरित्र देखती हैं और उनको पाप करते देखती हैं तो हम उनको रोकने की कोशिश करती हैं और अपनी सरकार से कहती हैं कि जल्दी से जल्दी इन विधवा आश्रमों को बन्द करे।

मैं अपने उन भाइयों से जो अभी बोले थे बिल्कुल सहमत हूं। मेरी खुद की यह राय है कि इन विधवा आश्रमों को और बनिता आश्रमों को गवर्नमेंट को खुद चलाना चाहिये और अगर गवर्नमेंट इनको चलायेगी तो उसको इतने आश्रमों की जरुरत नहीं होगी। जो इतने आश्रम खुले हैं इनका मकसद विधवाओं की खरख्वाही नहीं है बल्कि इनका मकसद कुछ और ही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस काम को चलायेगी तो वह ठीक तरह से चलेगा।

यह चीज़ पबलिक 'एंटरप्राइज़' के अन्दर होनी चाहिये लेकिन अभी थोड़े दिन के लिये जब तक हम अपने पैरों पर ठीक तरह से खड़े नहीं हो पाते सरकार को इस जिम्मेदारी को लेना चाहिये और सारे मुल्क की एक दफा शुद्धि करनी चाहिये। जब तक यह नहीं होगा तब तक देश का आगे बढ़ना मुश्किल है।

मैं गवर्नमेंट से यही कहने खड़ी हुई हूं कि अगर वह मेहरबानी फरमायें और यह पास हो जाय तो बहुत अच्छा है लेकिन मुझे तो इस बिल का भी वही हश्र होता दिखता है जैसे कि अभी एक बिल विदड्रा हो गया। मुमकिन है कि सरकार की तरफ से कोई बिल आवे और इस कारण यह बिल विदड्रा हो जाय। मालूम नहीं कि उसका क्या हश्र होगा लेकिन मुझे तो इसका भी वही हश्र होते जान पड़ता है जैसे पहले बिल का हुआ और वह विदड्रा हो गया। यह जो हमारे भाई श्री झुनझुनवाला का खाद्य पदार्थों में मिलावट के सम्बन्ध में प्रस्ताव था तो मैं उसके सम्बन्ध में बतलाऊं कि मैं खुद उसकी सेलेक्ट कमेटी में थी उसको एक अर्सा हो गया और आप जानिये कि हालत हमारी यह है कि हम जो खाते हैं वह शुद्ध न होने के कारण हम बीमार पड़ते हैं और कितने ही उस कारण मरते हैं। आज न हमें ठीक घी मिलता है, न मसाला मिलता है और न अनाज मिलता है, यह हमारी हालत है और हमारे मुल्क के रहने वालों की सेहत दिन पर दिन खराब होती जा रही है लेकिन सरकार के दरबार में अभी फ़ुरसत नहीं है कि वह हमारे स्वास्थ्य के ऊपर विचार करें और इस बिल को पास करें.....

सभापति महोदय: इसमें सरकार का क्या दोष है? सदन को उसके लिये समय नहीं मिलता।

श्रीमती उमा नेहरू: सरकार तो सभी हैं, मैं कोई उसके अलग अलग टुकड़े नहीं करना चाहती। मैं तो इस बिल के लिये कह रही थी कि इस बिल पर हमने खूब सोच विचार किया और मैं खुद इस बिल की सेलेक्ट कमेटी में थी और वहां इस बिल को अच्छी तरह सोच विचार कर चुके हैं और कम्पलीट कर चुके हैं और तब उसके बाद इस हाउस में मंजूरी के लिये लाये हैं लेकिन पार्लियामेंटरी अफेअर्स के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी फरमाया कि कुछ मोस्ट इम्पार्टेंट बिल्स उनके पास हैं, जिनको कि पहले हाउस के सामन लाना है इसलिये वह उसको आइन्दा सेशन में लायेंगे, यह बात तो समझ में आती है – मगर हो सकता है कि अगले सेशन में जो इससे औ

ज्यादा इम्पार्टेंट बिल होगा वह पहले आयेगा और यह फिर आगे के लिये टल सकता है। तो इस बारे में मेरा कहना यह है कि यह स्वास्थ्य सम्बन्धी बिल मोस्ट इम्पार्टेंट चीज है, देश के लोगों की सेहत और हेल्थ ठीक रहे, यह सब से ज्यादा ज़रूरी है और हमें इसकी तरफ सब से पहले ध्यान देना चाहिये और उसके बाद हमारे देश में और समाज में ये जितने पाप घर फैले हुये हैं उनको मिटाना है। और ज्यादा समय न लेते हुये मैं श्रीमती मणिबेन पटेल का जो बिल है उसका पूर्ण समर्थन करती हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार उसको कबूल करेगी और उसका बिल एडजोर्न नहीं होगा और मेरे बिल का जो नतीजा हुआ वह इसके साथ नहीं होगा और यह आगे जायेगा और मुल्क इस से फायदा उठायेगा।

श्री रघुरामय्या (तेनाली) : वास्तव में यह बड़े खेद की बात है कि हमारे देश में ऐसी संस्थायें काम कर रही हैं जो स्त्रियों और बच्चों की भलाई के नाम पर उनका जीवन बरबाद कर रही हैं और जिन्होंने इन को अपनी आमदनी का साधन बना रखा है। सरकार का यह परम कर्तव्य है कि वह इस प्रकार की संस्थाओं पर रोक लगाये और यह देखे कि इनके द्वारा वही काम किये जायें जिन के लिये इन्हें स्थापित किया गया है। सरकार के लिये पूर्ण रूप से इन संस्थाओं की व्यवस्था करने का काम हाथ में लेना संभव नहीं हो सकता; हां, उसे यह अवश्य देखना चाहिये कि इन संस्थाओं में जो कार्य किय जायें वे उन्हीं उद्देश्यों के अनुसार हों जो उन्होंने अपनाये हैं। यह बड़ी विचित्र सी बात है कि इतनी बड़ी सामाजिक समस्या के प्रति भी सरकार उदासीन हो रही है और उसने कोई गम्भीरता नहीं दिखाई है। हमें इस विधेयक को पारित करने के लिये पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिये

मैं एक बात यह चाहता हूं कि विधेयक म 'संस्था' शब्द की और अधिक स्पष्ट परिभाषा की जाये। वर्तमान परिभाषा के अन्तर्गत वे सब संस्थायें आ सकती हैं, जिन से यहां कोई सम्बन्ध नहीं और जिन्हें शायद विधेयक का प्रस्ताव करने वाली सदस्या भी शामिल करना नहीं चाहती। मैं समझता हूं कि इस विधेयक को उन्हीं संस्थाओं तक सीमित रखने का इरादा है जो स्त्रियों और बच्चों की रक्षा और भरण-पोषण का उद्देश्य लेकर स्थापित की गई हैं। अतः मेरा यह सुझाव है कि प्रस्तावक सदस्या इस बात को देखें कि विधेयक का क्षेत्र इन्हीं संस्थाओं तक सीमित रहे।

अन्त में मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस बारे में पूरी पूरी जांच-पड़ताल करे कि हमारे सामाजिक क्षेत्र में कहां कहां सुधार की आवश्यकता है ताकि वह उनके बारे में आवश्यक कानून बना सके।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं श्री रघुरामय्या की इस बात से सहमत हूं कि हमारी सरकार को न केवल कर वसूल करने वाली सरकार होना चाहिये बल्कि उसे कल्याणकारी सरकार होना चाहिये। सामाजिक दृष्टिकोण से जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किये जाते हैं उन्हें अक्सर यह कह कर टाल दिया जाता है कि सरकार स्वयं इस सम्बन्ध में एक विस्तृत विधेयक प्रस्तुत करेगी और बाद में सरकार द्वारा ऐसा कभी नहीं किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमार मंत्रालयों को विधेयक दाब कर बैठ जाने की आदत सी हो गई है। सामाजिक सुधार से सम्बन्ध रखने वाले विधेयकों की तो अक्सर यही दशा होती है। उन्हें खटाई में डाल दिया जाता है।

मेरे विचार में इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाया जाना चाहिये क्योंकि यह एक बहुत बड़ी समस्या है। हम देखते हैं कि देश में जगह जगह पर छोटे छोटे बच्चे भीख

[श्री डी० सी० शर्मा]

मांगते फिरते हैं। उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं होता। अक्सर यह बच्चे किसी न किसी अनाथ आश्रम, आदि में रहते हैं और उन्हें इस कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। स्त्रियों का व्यापार भी खूब बढ़ गया है। इन सबको रोकने के लिये मेरे विचार में देश के समस्त बच्चों की जनगणना कराई जाय। यदि आप इसके सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं करना चाहते तो यह काम पंचायतों को सौंप दिया जाना चाहिये। गांवों में यह काम पंचायतें कर सकती हैं और शहरों में म्युनिस्पैल्टियां आदि।

इंग्लैंड के डा० बरनाडो की तरह हमारे देश में भी जनसेवकों की आवश्यकता है जो अपनी लगन से इस समस्या को सरल बना सकते हैं। देश में कुछ अच्छे अनाथालय हैं किन्तु उनकी संख्या बहुत ही कम है। ऐसे अनाथालयों तथा बनिता आश्रमों की संख्या बहुत अधिक है जिनके चलाने वाले इन अनाथों और स्त्रियों का प्रयोग अपने लाभ के लिये करते हैं। उन्हें चोरी, गिरहकटी आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। यही बालक आगे चल कर चोरों और डाकुओं की संख्या बढ़ाते हैं। स्त्रियों को व्यभिचार कराने पर मजबूर किया जाता है। अतः मेरा निवेदन है कि ऐसी संस्थाओं पर कड़ी निगाह रखने की आवश्यकता है। समय समय पर उनकी परीक्षा होती रहनी चाहिये। मैं मानता हूं कि गैर सरकारी विधेयकों में अनेक गलतियां होती हैं उनकी भाषा मंजी हुई नहीं होती। लेकिन यह सब तो ठीक किया जा सकता है। पहले हमें विधेयक का उद्देश्य देखना चाहिये। इस दृष्टिकोण से यह विधेयक स्वीकार कर लिया जाना चाहिये क्योंकि इससे एक बड़ा सामाजिक सुधार हो सकता है।

श्रीमती मायदेव (पूना दक्षिण) : मैं श्रीमती मणिबेन पटेल के इस सुझाव से सहमत हूं कि सरकार का इन संस्थाओं के चलाने में हाथ होना चाहिये। इनके लिये लाइसेन्स दिया जाना चाहिये। जब तक यह अनाथालय या बनिता आश्रम, आदि, अपने आपको पंजीबद्ध नहीं करा लेते तब तक उन्हें काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये तथा उनके ऊपर निगरानी रखी जानी चाहिये। अनाथ बच्चों की संख्या इतनी अधिक है कि नये नये अनाथालय खोलने पर भी उनकी उचित व्यवस्था नहीं हो सकती है। अतः मेरा निवेदन है कि इस ओर सब से पहले ध्यान दिया जाय।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, इस बिल के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही आवश्यक बिल है। इस बिल की जितनी आवश्यकता है उसके बारे में बहुत कुछ पहले कहा गया है और मैं समझता हूं कि किसी भी स्वतंत्र देश के लिये यह हतक की बात है और बड़े दुःख की बात है कि ऐसे बच्चों पर और ऐसी संस्थाओं पर सरकार का किसी भी प्रकार का नियंत्रण न हो। मैं समझता हूं कि हमारे भाई ने ठीक ही कहा है कि जिधर जाइये उधर ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनका सरकार के पास कोई लेखा नहीं है। आप रेल में जाइये या कहीं भी जाइये आपको इस तरह के बच्चे मिलेंगे। इन जगहों से ही यह बच्चे इन संस्थाओं में लाये जाते हैं और यहां उनका नैतिक पतन होता है और यहां से यह बुराई सारे समाज में फैलती है। हम देखते हैं कि जब से यह देश स्वतंत्र हुआ है तब से इस देश का नैतिक पतन बढ़ता ही जा रहा है। और इसका कारण ये संस्थायें हैं। इसलिये मैं इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देना चाहता हूं कि इन संस्थाओं पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिय। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हम चाहे हिटलर के सिद्धान्तों से सहमत हों या न हों, पर जब से हिटलर की

सरकार आयी उसने सब से पहले जरमनी के लड़कों और लड़कियों को सुधारने पर जोर दिया और उन बच्चों को अच्छी संस्थाओं में रखा। उन्होंने कानून बना कर खराब संस्थाओं को बन्द किया। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हम इस प्रकार के कानून यहां पर नहीं लायेंगे और उनको कार्य रूप में परिणत नहीं करेंगे तब तक जो यह नैतिक पतन हो रहा है यह बढ़ता जायेगा और आप चाहे जितना टैक्स वसूल कीजिये और कानून बनाइये यह नैतिक पतन नहीं रुक सकता। इसलिये मैं जोर के साथ यह कहना चाहता हूं कि मणिबेन पटेल और दूसरे लोग जो बिल लाये हैं उनको गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी स्वीकार करे और या इस बिल को दूसरे रूप में खुद लाये जिससे कि हम इस नैतिक पतन को रोक सकें क्योंकि इन्हीं बच्चों के ज़रिय बुराई देश में फलती है। इसलिये मैं इसका बड़े जोर से समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझको समय दिया।

सभापति महोदय : अब इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है, यदि माननीय मंत्री चाहें तो उत्तर दे सकते हैं।

श्री दातार : मैं अगली बार उत्तर दूंगा जिससे अन्य लोगों को भी बोलने का मौका मिल जाये।

इसके पश्चात् सभा, शनिवार, २४ अप्रैल, १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हुई।

GIPD—HS—113 PSD—11-10-54—285.